न्यायालय, अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश–I, भोजपुर आरा। उपस्थितः– ऋषि कुमार सिह, सी0आई0एस0 (पृथक वाद) उत्पाद वाद संख्या 3055/2022 (बड़हरा थाना काण्ड संख्या 301 सन् 2021)	
सूचक	राज्य द्वारा :– पु0अ0नि0 सुरेश रविदास, बड़हरा थाना भोजपुर आरा।
द्वारा प्रस्तुत	अभियोजन की तरफ से :– श्री राजेश कुमार, विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद।
अभियुक्त	घुरखेली राय, उम्र करीब 52 वर्ष, वल्द सुराजी राय, साकिन– सबलपुर गनौली, थाना– बड़हरा, जिला–भोजपुर।
द्वारा प्रस्तुत	अभियुक्त की तरफ से :– श्री अजय कुमार सिंह, विद्वान पैनल अधिवक्ता।

घटना की तिथि	21.05.2021
प्राथमिकी की तिथि	21.05.2021
आरोप पत्र की तिथि	17.07.2021
आरोप विरचना की तिथि	17.08.2021
साक्ष्य के प्रारंभ होने की तिथि	02.09.2012
निर्णय तय करने की तिथि	23.11.2022
निर्णय की तिथि	24.11.2022
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	26.11.2022

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छूटने की तिथि	आरोपित अपराध	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	आरोपित सजा	धारा 428 भा0द0वि0 के प्रयोजनों के लिए विचारण के दौरान निरोध की अवधि
ए–1	घुरखेली राय	2105.2021	13.09.2021	धारा 30 (ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016	दोषसिद्ध	10 वर्ष के कारावास की सजा तथा एक लाख रू0 (100000/–रू0) का अर्थदंड। अर्थदंड न दिये जाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा।	21.05.2021 से 13.09.2021 तक एवं 19.11.2022 से निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध

निर्णय

1. प्रस्तुत विचारण वाद में अभियुक्त घुरखेली राय का विचारण अंतर्गत धारा 30(ए) बिहार मद्यनिषेद्य एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम 2016 के लिए किया गया है।

2. प्राथमिकी के अनुसार, संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि सूचक पुअनि0 सुरेश रविदास को दिनांक 21.05.2021 को समय 18.30 बजे सूचना मिली कि ग्राम नेकनाम टोला दियर क्षेत्र से देशी शराब लालजी राय एवं इंदल यादव के द्वारा काफी मात्रा में शराब मंगवाया गया है, जिसकी डिलीवरी होने वाली है। इस सूचना को थानाध्यक्ष को अवगत कराया तथा आदेशानुसार सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु सअनि0 महेन्द्र प्रसाद एवं ध्रुव नारायण सिंह व थाना के सशस्त्र बल के जवान सिपाही शिवजी सिंह, सिपाही राम पुलिस सिंह, सिपाही सुरेन्द्र प्रसाद सिंह एवं स्थानीय चौकीदार 3/5 बिरेन्द्र प्रसाद के साथ थाना से प्रस्थान किया तथा ग्राम नेकनाम टोला बांध के किनारे करीब 19.15 बजे पहुचा तथा बांध के किनारे बैठ कर शराब कारोबारी के आने का इंतजार करने लगे। इसी बीच दो मोटरसाईकिल आता दिखाई दिया जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से घेर का रोका तो मोटरसाईकिल चालक एवं उसके पीछे बैठे व्यक्तियों ने भागने का प्रयास किया परंतु सशस्त्र बलों के सहयोग से दो व्यक्ति को पकड़ लिया गया, दोनों मोटरसाईकिल पर एक–एक जुट का बोरा लदा हुआ था, जिससे शराब का गंध आ रही थी तथा दो व्यक्ति एवं एक अन्य व्यक्ति जो एक लाल रंग का स्कूटी से दोनों मोटरसाईकिल से थोड़ी दूरी पर था जो पुलिस को वाच करने एवं लाईनर का काम कर रहा था, तीनों व्यक्ति अंधेरा का फायदा उठाकर फरार हो गये। पकड़ाये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम लाल बहादुर राय तथा एक अन्य व्यक्ति जो बोरा रखकर बैठा था उसका नाम पूछने पर घुरखेली राय तथा फरार हुये तीनों व्यक्तियों का नाम लालजी राय, लालू राय एवं इंदल यादव बताये। आगे पूछने पर बताए की स्कूटी से भागने वाला व्यक्ति इंदल यादव था। तब तक पुलिस की कार्यवाई देखकर रास्ते से गुजर रहे कुछ लोग जुट गये जिनके समक्ष अपना एवं साथ रहे पदाधिकारी एवं सशस्त्र बलों का जमा तलाशी देते हुए एक पैसन प्रो हीरों की मोटरसाईकिल के पीछे लदे जुट के बोरा को तलाशी लिया। उक्त बोरे से सफेद पोलोथीन में 8 लीटर के मात्रा में पैक किया हुआ 8 पोलोथीन पैक 8 x 8 = 64 लीटर पैक किया हुआ 6 x 8 = 48 लीटर, कुल 112 लीटर देशी महुआ शराब बरामद हुआ तथा मोटरसाईकिल को चेक करने पर उस पर (1) इंजन न0 HA10ENCGF2261 हीरो चेचीस न0 MBLHA10AWCG21160 (2) चेचीस न0 MBLHAR18xHHB-38279 इंजन न0 HAI18ACHHBC8896 अंकित पाया। तत्पश्चात बरामद शराब एवं मोटरसाईकिल का विधिवत जप्ती सूची बनाया तथा उपस्थित राहगीरो से जप्ती सूची साक्षी बनने का अनुरोध किया कोई भी राहगीर जप्ती सूची साक्षी बनने को तैयार नहीं हुआ तब साथ रहे सशस्त्र बलों में से स्वेच्छा से सिपाही शिवजी सिंह एवं सिपाही राम पुलिस सिंह जप्ती सूची साक्षी बनने को तैयार हो गये तथा जप्ती सूची पर हस्ताक्षर बना दिया। जिसकी एक–एक प्रति पकड़ाये दोनों व्यक्ति को हस्तगत करा हस्ताक्षर बनवा लिया तथा पकड़ाये व्यक्ति को विधिवत गिरफ्तार किया तथा जप्त देशी शराब एवं मोटरसाईकिल व गिरफ्तार अभियुक्त के साथ थाना के लिये

प्रस्थान किया। सूचक सुरेश रविदास पु0अ0नि0, बड़हरा थाना, भोजपुर, आरा के टंकित आवेदन के आधार पर बड़हरा थाना कांड सं0–301/2021 दिनांक 21.05. 2021 अंतर्गत धारा 30(ए) बिहार मद्यनिषेद्य एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम 2018 के अधीन अभियुक्तगण लाल बहादुर राय, घुरखेली राय, लालजी राय, लालु राय एवं इंदल यादव के विरूद्ध दर्ज किया गया। अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राथमिकी अभियुक्तगण लालजी राय, लालु राय एवं इंदल यादव के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखते हुए, अनुसंधान पश्चात् घटना सत्य पाकर अभियुक्तगण लाल बहादुर राय, एवं घुरखेली राय के विरूद्ध अतर्गत धारा 30ए बिहार मध निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के दण्डनीय अपराध में आरोप पत्र संख्या 326/2021 दिनांक 17.07. 2021 को न्यायालय में समर्पित किया। इस मामले में अभियुक्तगण घुरखेली राय एवं लाल बहादुर राय के विरूद्ध दिनांक 09.08.2021 को अंतर्गत धारा 30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2018 के अपराध का संज्ञान लिया गया।

3. अभियुक्त घुरखेली राय के विरूद्ध दिनांक 17.08.2021 को धारा 30(ए) बिहार मद्यनिषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम 2018 में आरोप गठन किया गया। विरचित आरोप अभियुक्त को हिन्दी में पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिस पर अभियुक्त द्वारा आरोप से इंकार किया गया व विचारण की मॉग की गयी।

4. इस मामले में अभियोजन साक्षियों के परीक्षण के उपरांत न्यायालय द्वारा धारा–313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन उपरोक्त अभियुक्त घुरखेली राय का बयान दिनांक 20.04.2022 को अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने अपने को निर्दोष बताया तथा बचाव साक्षी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना कहा है।

5. प्रस्तुत वाद में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त घुरखेली राय के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है ?

मंतव्य

6. इस वाद में अभियोजन पक्ष ने कुल 5 साक्षियों यथा अभियोजन साक्षी संख्या 1 सुरेश रविदास, साक्षी संख्या 2 ध्रुव नारायण सिंह, अभियोजन साक्षी संख्या 3 राम पुलिस सिंह, अभियोजन साक्षी संख्या 4 बिरेन्द्र कुमार विमल, अभियोजन साक्षी संख्या 5 प्रकाश कुमार राम को प्रस्तुत करके परीक्षित कराया गया है।

अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्यों को प्रदर्श अंकित कराया है –

प्रदर्श 1 – जप्ती सूची– अभियेाजन साक्षी संख्या 1 सूचक सुरेश रविदास द्वारा स्वंय की हस्तलेख एंव हस्ताक्षर की पहचान।,

प्रदर्श 1/1 जप्ती सूची– अभियेाजन साक्षी संख्या 1 सूचक सुरेश रविदास द्वारा जप्ती साक्षी शिवजी सिंह के हस्ताक्षर की पहचान।

प्रदर्श 1/2 जप्ती सूची– अभियेाजन साक्षी संख्या 1 सूचक सुरेश रविदास द्वारा जप्ती साक्षी रामपुलिस के हस्ताक्षर की पहचान।

प्रदर्श 2 टंकित आवेदन– अभियेाजन साक्षी संख्या 1 सूचक सुरेश रविदास द्वारा स्वंय की हस्ताक्षर की पहचान।,

प्रदर्श 2/1 टंकित आवेदन पर अभियोजन साक्षी संख्या 1 सूचक सुरेश

रविदास द्वारा पुअनि0 दीप नारायण सिंह के हस्तलेख एंव हस्ताक्षर की पहचान।,

प्रदर्श 3 औपचारिक प्राथमिकी पर अभियोजन साक्षी संख्या 1 सूचक सुरेश रविदास द्वारा पुअनि0 दीप नारायण सिंह के हस्ताक्षर की पहचान।,

प्रदर्श 4 आरोप पत्र पर अभियोजन साक्षी संख्या 4 द्वारा स्वंय की हस्ताक्षर की पहचान।

प्रदर्श 5 शराब विनिष्टिकरण प्रतिवेदन।

प्रदर्श 6 देशी महुआ शराब का जॉच प्रतिवेदन।

7. बचाव पक्ष की ओर से बचाव साक्षी संख्या 1 रामबाबू पासवान, बचाव साक्षी संख्या 2 रघुनाथ राय एवं बचाव साक्षी संख्या 3 रंगनाथ सिंह को बचाव साक्षी के तौर पर परीक्षित कराया गया है। बचाव पक्ष की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. अभियोजन साक्षी संख्या 1 सुरेश रविदास, जो इस वाद के सूचक है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 21.05.2021 को मैं बड़हरा थाना में अ0नि0 के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मुझे सूचना मिली कि लालजी राय एवं इन्दल राय के द्वारा देशी शराब मंगवाया गया है इसका Delivery नेकनाम टोला बॉध पर होने वाला है, तब इस सूचना को वरीय पदाधिकारी एवं थाना को अवगत कराया गया तब थाना के पदाधिकारी ए0एस0आई0 ध्रुव नारायण सिंह, महेन्द्र प्रसाद तथा सशस्त्र बल के जवान रामपुलिस सिंह, शिवजी सिंह, सुरेन्द्र प्रसाद सिंह तथा स्थानीय चौकीदार विरेन्द्र पासवान 3/5 के साथ सूचना के सत्यपान हेतु नेकनाम टोला के लिए प्रस्थान किया। नेकनाम टोला पहुॅचने के बाद शराब कारोबारी के आने का इंतजार करने लगा, कुछ देर के बाद दो मोटरसाईकिल दिखाई दिया जिसपर दो–दो व्यक्ति सवार थे, जिसपर पर बोरा रखा हुआ देखा गया। जिसको सशस्त्र बल के सहयोग से घेर कर रोकने का प्रयास किया। तब पुलिस को देखकर दोनों मोटरसाईकिल वाले भागने लगे, जिसमें एक मोटरसाईकिल पर बैठा चालक एवं व्यक्ति को पकड़ लिया गया, दूसरा मोटरसाईकल चालक अपना मोटरसाईकिल छोड़कर फरार हो गया। दोनों मोटरसाईकिल के पीछे एक लाल रंग का स्कूटी आ रहा था जो पुलिस को देखकर भाग गया। दो पकड़ाए व्यक्ति ने अपना नाम लालबहादुर राय दूसरा धुरखेली राय बताया और भागे हुए व्यक्ति के बारे में पूछने पर एक का नाम लालजी राय एवं दूसरे का लालू राय तथा तीसरा व्यक्ति स्कूटी वाले का इन्दल राय बताया। तब तक वहॉ कुछ लोग जमा हो गए। अपने साथ रहे सशस्त्र बल एवं पदाधिकारी ने अपना जमा तलाशी देते हुए मोटरसाईकिल के साथ पकड़ाए बोरे का तलाशी लिया। तलाशी के दौरान बोरा में से 8 लीटर का 8 पोलिथिन पैक 8 पीस यानि 64 लीटर देशी महुआ शराब तथा दूसरे मोटरसाईकिल पर 8 लीटर का 6 पोलिथिन पैक जिसमें 48 लीटर कुल 112 देशी महुआ शराब बरामद किया गया। जप्त शराब का जप्ती सूची वहॉ उपस्थित स्थानीय लोगों से आग्रह किए लेकिन वह साक्षी बनने से इन्कार किए तब साथ रहे सशस्त्र बल के जवान राम पुलिस सिह एवं शिवजी सिंह के समक्ष तथा साथ में रहे पदाधिकारी ध्रुव नारायण सिंह के द्वारा जप्ती सूची विधिवत बनाया गया, जो उनके लिखावट एवं हस्ताक्षर में है तथा मेरे समक्ष हस्ताक्षर बनाए थे जिसको मैं पहचानता हूॅ। जिसे **प्रदर्श–1** अंकित किया जाता है और शिवजी सिंह एवं राम पुलिस ने भी अपना हस्ताक्षर जप्ती सूची पर बनाया

जिसे मैं पहचानता हूॅ, जिसे क्रमशः **प्रदर्श–1/1 एवं 1/2** अंकित किया जाता है। जप्ती सूची की प्रति को दोनों पकड़ाए गए अभियुक्त को दिया गया। जप्त शराब एवं पकड़ाए गए अभियुक्त को गिरफतार कर हमलोग थाना लाए तथा थाना पर लाकर मेरे द्वारा टंकित आवेदन तैयार करवाया गया जो मेरे हस्ताक्षर है। जिसे **प्रदर्श–2** अंकित किया जाता है। पृष्ठांकन पु0अ0नि0 दीप नारायण सिंह के लिखावट एवं हस्ताक्षर में है जिसे मैं पहचानता हूॅ। जिसे **प्रदर्श–2/1** अंकित किया जाता है। औपचारिक प्राथमिकी थाना लेखक के द्वारा लिखा गया है जो थानाध्यक्ष दीप नारायण सिंह के हस्ताक्षर में है। जिसे **प्रदर्श–3** अंकित किया जाता है। दरोगा जी ने मेरा बयान भी लिया था। मैं मुदालह को देखकर पहचान लूॅगा।

प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि घटनास्थल की चौहदी के पूर्व में नेकनाम टोला, पश्चिम में गंगा भॉगड़, उतर में गंगा भॉगड़ तथा दक्षिण में सड़क है जो बखोरापूर से बड़हरा की तरफ जाती है। घटना का समय रात्रि का 8.30 बजे था। मुझे सूचना 6.30 बजे मिली थी। दोनों मोटरसाईकिल पर दो–दो आदमी सवार थे, कुल चार लोग थे। मैनें जो शराब दोनों मोटरसाईकिल से जप्त की थी उनका अलग–अलग वर्णन एफ0आई0आर0 में किया है और दोनों के शराब के बारे में मैं बता सकता हूॅ। दोनों मोटरसाईकिलों पर कोई नम्बर अंकित नहीं था परन्तु दोनों को देखकर यह स्पष्ट बताया जा सकता है कि एक नई मोटरसाईकिल है और एक पुरानी मोटरसाईकिल थी। नई मोटरसाईकिल पर अभियुक्तगण लाल बहादुर एवं घुरखेली राय बैठे थे उस नई मोटरसाईकिल से एक जूट का बोरा लदा हुआ था जिसमें से 8 लीटर के पैक में 8 पॉलिथिन पैक 64 लीटर देशी महुआ शराब बरामद हुआ था तथा पुराना मोटरसाईकिल पर 8 लीटर की मात्रा का 6 पॉलिथिन पैक 48 लीटर देशी महुआ शराब बरामद हुआ था। नई मोटरसाईकिल लाल बहादुर चला रहे थे और दूसरा व्यक्ति घुरखेली है वह पीछे बैठा था तथा पुराना मोटरसाईकिल पर लालजी राय एवं लालू राय थे। दोनों मोटरसाईकिल कुछ दूरी पर एक साथ चल रहे थे। दोनों मोटरसाईकिल एक दूसरे से 2–4 मीटर की दूरी पर चल रहे थे। जब मैनें मोटरसाईकिल तथा अभियुक्तों को पकड़ा उस समय आने–जाने वाले 4–5 व्यक्ति पुलिस को देखकर के वहॉ पर जमा हो गए थे। मैं घटनास्थल पर आधा से पौन घंटा तक रूका था। थाना से घटनास्थल की दूरी 5–6 किलोमीटर है। घटनास्थल से थाना पर मैं 9.30–9.45 पहॅुचे थे। घटनास्थल मुख्य मार्ग से हटकर के है, जिसपर गॉव के लोग हीं आते–जाते है। मैं कम्प्यूटर टाईपिंग नहीं जानता हूॅ। इस काण्ड की प्राथमिकी मेरे द्वारा बताए गए तथ्यों के आधार पर थाने पर नियुक्त कॉन्सटेबल जिसे कम्प्यूटर की जानकारी है द्वारा कम्प्यूटर पर तैयार की गई थी और जिसको मैनें पढ़ एव समझकर एवं सही पाकर अपना हस्ताक्षर बनाकर थाने में दिया था। इस काण्ड की प्राथमिकी दिनांक 21.05. 2021 को समय 9.30 बजे रात्रि के आस–पास कम्प्यूटर से तैयार हुई थी। नई मोटरसाईकिल का मालिक कौन है मुझे नहीं पता इस संदर्भ में अनुसंधानकर्ता हीं बता सकते है तथा मुझे पुरानी मोटरसाईकिल के मालिक के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है। घटनास्थल जहॉ से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा शराब को जप्त किया उसका कोई विडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है। हमलोगों को वरीय पदाधिकारी का ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि विडियों रिकॉर्डिग बनाना है कि नहीं बनाना है। थाना से घटनास्थल पर जाने में कुल 20–25 मिनट का समय लगेगा। नेकनाम टोला घटनास्थल से 5–6 किलोमीटर की दूरी पर है। घटनास्थल से सबसे नजदीकी बस्ती नेकनाम टोला है। घटनास्थल पर अभियुक्तों के

गिरफतारी के समय चार–पॉच लोग थे। घटना स्थल पर ग्रामीण लोग 8:30 बजे रात्रि के आसपास उपस्थित थे। घटनास्थल पर पहुॅचने के आधा–पौन घंटा के बाद गिरफ्तारी किए। मेरे वहॉ पहुॅचने के बाद मैं कितना देर वहॉ रहा उस दरम्यान वहॉ 4–5 लोग उपस्थित थे। मैं जितना देर वहॉ रहा तथा जब तक तलाशी हो रहा था तब तक वहॉ ग्रामीण लोग थे। मैं 13 वर्षो से नौकरी में हूॅ। मैं कुल कितने केस में सूचक हूॅ नहीं बता सकता। मैनें प्राथमिकी थाना पर टंकित करवाया है। ऐसी बात नहीं है कि मैने जप्ती सूची थाना पर तैयार किया है। जप्ती सूची के गवाह जो मेरे साथ गश्ती में गए थे वही गवाह है। यह कहना सही है कि पुलिस के अलावा कोई स्वतंत्र गवाह प्राथमिकी में नहीं है। अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बाद उनके परिवार को सूचित किया गया है। मैनें गिरफ्तारी मेमों में दर्ज किया है। मैं विधिवत गिरफ्तारी का मतलब समझता हूॅ। इसमें मैनें विधिवत जमा तलाशी तथा अभियुक्त को सूचित किया गया है तथा आरोप क्या है यह बतलाया गया है। ऐसी बात नहीं है कि मैने दोनों अभियुक्तों को इनके घर से गिरफ्तार किया है। ऐसी बात नहीं है कि मुझे जिस व्यक्ति ने सूचना दिया था वह अभियुक्त के दुश्मन के कहने पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। मैं गुप्त सूचना पर गया था तथा सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम नहीं बता सकता। ऐसी बात नहीं है कि यदि अभियुक्तों को घटनास्थल से गिरफ्तार करता तो वहॉ स्वतंत्र गवाह होते। ऐसी बात नहीं है कि मैनें अभियुक्तों को फॅसाने के लिए तथा अभियुक्त के दूश्मन के कहने पर बनावटी केस दर्ज कर दिया है। मैने आज न्यायालय में जो भी गवाही दिया है वह सही गवाही दिया है। अभियुक्त लाल बहादुर का उम्र 37 तथा धूरखेली राय का 52 वर्ष उम्र होगा। ऐसी बात नहीं है कि मैनें आज जैसी गवाही दिया है वैसी कोई घटना नहीं घटी है। ऐसी बात नही है कि मैने जप्ती सूची, गिरफ्तारी तथा प्राथमिकी दर्ज करने का पालन किया है।

9. साक्षी संख्या 2 ध्रुव नरायण सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 21.05.2021 की है। उस दिन मैं बड़हरा थाना में पु0स0अ0नि0 के पद पर पदस्थापित था। उस दिन छापामारी में हमलोग निकले थे उस दिन छापामारी में मेरे साथ पु0अ0नि0 सुरेश रविदास, पु0स0अ0नि0 महेन्द्र प्रसाद, गृहरक्षक शिवजी सिंह, गृहरक्षक सुरेन्द्र प्रसाद और साथ में स्थानीय चौकीदार विरेन्द्र प्रसाद थे। जब हमलोग नेकनाम टोला बॉध के किनारे शराब कारोबारी का इंतजार करने लगे, तो देखे कि दो मोटरसाईकिल आता हुआ दिखाई दिया तब सशस्त्र बल के सहयोग से रोका गया तब दोनों मोटरसाईकिल चालक भागने का प्रयास किए तब दो लोग पकड़ा गया तथा दो लोग मोटरसाईकिल छोड़कर भागने का प्रयास किए। एक लाल रंग का स्कूटी से जो लाईनर का काम करता था वह भाग गया दो लोग पकड़े गए एक ने अपना नाम धुरखेली राय तथा दूसरे ने लाल बहादुर राय अपना नाम बताया। तब उसमें लदे सामान का जॉच किया तो एक बोरा में 8 लीटर का 8 पैकेट तथा दूसरे से 8 लीटर का 6 पैकेट बरामद किया कुल 112 लीटर देशी महुआ शराब बरामद किया गया सबका जप्ती सूची हमलोगों ने तैयार किया। सुरेश रविदास के आदेशानुसार हमने साक्षी गृहरक्षक शिवजी सिंह और रामपुलिस सिंह के समक्ष जप्ती सूची तैयार किया। जो जप्ती सूची है वह मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, जिसे मैं पहचानता हूॅ, जो पूर्व में वादी सुरेश रविदास द्वारा पहचान कर प्रदर्श –1 किया जा चुका है। जप्ती सूची की प्रति पकडाए गए अभियुक्त को दिया गया और फिर दोनों अभियुक्त को गिरफतार किया गया, तब पकड़ाए हुए दोनों अभियुक्त ने भागने वाले व्यक्ति का नाम लालजी राय एवं लालू राय, इन्दल यादव

बतलाया। उसके बाद गिरफ्तार अभियुक्त, जप्त शराब, तथा जप्त मोटरसाईकिल को लेकर थाना चले आए।

प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि इस केस में मेरे गवाही से पहले सुरेश रविदास जो केस के सूचक है उन्होनें अपना गवाही दिया है।

प्रश्न– समय 1.15 से 1.30 बजे तक आप न्यायालय में बैठकर सुरेश रविदास का क्या गवाही पढ़ रहे थे ओर रिकार्ड आप लिए हुए थे ?

उतरः–ऐसी बात नहीं है कि मैं गवाही पढ़ रहा था। यह कहना भी गलत है कि मैं रिकार्ड लिए हुए था।

मैं यह जानता हूँ कि न्यायालय में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगा हुआ है। मुझे कोई आपति नहीं है अगर सी0सी0टी0वी0 फुटेज मंगवाया जाए। विरेन्द्र पासवान, पिता – बसावन पासवान को मैं जानता हूँ, जो थाने में चौकीदार है। मैं थाना से घटनास्थल के लिए जैसे ही सूचना 18.30 बजे प्राप्त हुई थी उसके 10 मिनट के बाद चले थे और घटनास्थल पर 19.15 बजे पहुँचा था। घटनास्थल पर पहुँचने पर आधा घंटा का समय लगा था। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहले हमलोग पहुँचे थे और उसके करीब 20 मिनट के आसपास अभियुक्तगण वहाँ पर पहुँचे थे। घटनास्थल आम रास्ता है। हमलोग करीब घटनास्थल पर लगभग आधा–पौन घंटा तक खड़ा रहे। उस आधा–पौन घंटा के दौरान अभियुक्तगण के आने के पहले भी कुछ लोग आए–गए और अभियुक्तगण के आने पश्चात् भी लोग आ जा रहे थे क्योंकि वह एक आम रास्ता है। घटनास्थल की चौहदी मैं नहीं बता सकता हूँ। घटनास्थल पर मुझे मिलाकर तीन पुलिस पदाधिकारी थे, तीन कान्सटेबल तथा एक चौकीदार थे कुल सात लोग थे। जो चौकीदार साथ में था वह उसी ईलाके का चौकीदार है जहाँ पर अभियुक्तगण रहते है। जप्ती सूची के संदर्भ में स्वतंत्र गवाह के लिए प्रयास किया गया था परन्तु पुलिसिया कार्रवाई को देखने के कारण कोई भी स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ तो हमलोगों ने अपने में से हीं लोगों को गवाह बनने का निवेदन किया तो रामपुलिस सिंह एवं सुरेन्द्र प्रसाद सिंह तैयार हुए तत्पश्चात नियमानुसार जामा तलाशी देने के उपरांत जप्त सामान के संदर्भ में दोनों गवाह की उपस्थिति में मैनें अपने हस्तलेख में जप्ती सूची तैयार की थी जिसपर मेरे साथ–साथ दोनों गवाहों ने भी हस्ताक्षर बनाए थे। यह कहना गलत है कि हमसभी सात पुलिस वाले एक हीं गाड़ी से घटनास्थल पर पहुँचे थे जब कि वास्तविक्ता यह है कि हमलोग अलग–अलग गाड़ी से गए थे। एक जीप थी तथा बाकी दो मोटरसाईकिलें थी। घटनास्थल से थाने की ओर वापसी जप्त सामान एवं गिरफ्तार अभियुक्त को सूचक महोदय जीप से लेकर थाने आए थे और हमलोग भी अपने –अपने साधन से थाने आए थे।

नोटः– न्यायालय द्वारा यह पूछे जाने पर कि जो मोटरसाईकिल भी जप्त की गई थी वह कैसे थाने पहुँची तो इस प्रश्न के उतर में गवाह ने कहा कि जप्त मोटरसाईकिल को साथ में चल रहे अन्य पुलिसकर्मी थाने लेकर आए थे।

मोटरसाईकिल साथ में चल रहे पुलिसकर्मी लेकर आए थे। जो पुलिसकर्मी साथ लेकर आया था उसका नाम एस0आई0 महेन्द्र प्रसाद है। इस केस की प्राथमिकी घटना स्थल पर तैयार हुई थी। बाद में गवाह ने स्वंय कहा कि एफ0आई0आर0 सूचक द्वारा तैयार की गई थी जो कि थाने पर तैयार की गई थी। प्राथमिकी किस व्यक्ति ने टाईप किया है मैं नहीं बता सकता। प्राथमिकी में वहीं बात लिखी गई होगी जो घटना घटित हुई और जो–जो कार्रवाई हुई। जप्त शराब दो गाडियों पर था उसमें से एक गाड़ी नई थी और एक पुरानी गाड़ी थी।

नई गाड़ी पर 8 लीटर का 8 पैकेट तथा पुरानी गाड़ी पर 8 लीटर का 6 पैकेट था। नई गाड़ी लालबाबु राय चला रहे थे तथा पुरानी गाड़ी को दुसरे अभियुक्त चला रहा थे वह भाग गए। इस केस के अनुसंधानकर्ता द्वारा मेरा बयान लिया गया था तारीख 22.05.2021 को समय सुबह का था। जो मैं न्यायालय में गवाही दे रहा हूँ यहीं गवाही मैनें अनुसंधानकर्ता के समक्ष दिया था। अनुसंधानकर्ता के पास मैनें नई गाडी एवं पुरानी गाड़ी का जिक्र नहीं किया था। यह कहना गलत है कि चौकीदार विरेन्द्र पासवान के कहने पर हमलोग अभियुक्त को घर से पकड़कर थाने पर लाए थे। हमलोग सात पुलिसकर्मी में से किसी ने पूरी घटना को मोबाईल से रिकार्डिंग किया या नहीं मैं नहीं बता सकता, हॉ यह बात सहीं है कि मैनें रिकाडिंग नहीं किया। घटना का रिकाडिंग किए जाने के संदर्भ में कोई वरीय पदाधिकारी का आदेश है या नहीं मैं नहीं बता सकता। प्राथमिकी थाने पर तैयार हुई थी उसको किसने टाईप किया मैं नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि घटनास्थल से सारे अपराधी भाग गए थे और हमलोगों ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया था। यह कहना गलत है कि हमलोगों ने हाजिर अदालत अभियुक्तगण को घर से पकड़ के लाने के बाद थाने पर जप्ती सूची पर हस्ताक्षर बनावाए थे। यह कहना गलत है कि जैसा मैनें घटना के संदर्भ में वर्णन किया है वैसी कोई घटना घटित नहीं हुई थी। यह कहना गलत है कि गॉव के चौकीदार के अभियुक्तगण से दुश्मनी है और उसी कारण से अभियुक्तगण को इस झूठे मुकदमें मे फंसा दिया गया है। यह बात सही है कि विधिवत जप्ती सूची तैयार करने के लिए स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होती है।

10. अभियोजन साक्षी संख्या 3 राम पुलिस सिंह जो इस वाद के जब्ती साक्षी है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 21.05.2021 की घटना है उस दिन मैं बड़हरा थाना में सिपाही के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मैं पु0अ0नि0 सुरेश रविदास, पु0स0अ0नि0 ध्रुव नारायण सिंह, तथा थाना के रिजर्व गार्ड तथा अन्य के साथ छापामारी के लिए निकला था तो गॉव के सामने बॉध के किराने पहॅुचा तो देखा कि दो मोटरसाईकिल में चार लोग आते दिखाई दिए जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ा गया, जिसमें दो व्यक्ति अपना मोटरसाईकिल छोड़कर भाग गए तथा दो लोग पकड़े गए जिनका नाम पूछने पर एक ने अपना नाम धूरखेली राय एवं दूसरे ने लालबहादुर राय बताया। एक मोटरसाईकिल पर एक बोरा था जिसमें 8–8 लीटर का 8 पॉउस कुल 64 लीटर तथा दूसरे मोटरसाईकिल पर 8 लीटर का 6 पॉउस जिसमें 48 लीटर देशी शराब बरामद किया गया जिसे सुरेश रविदास के कहने पर पु0स0अ0नि0 ध्रुव नारायण सिंह के द्वारा जप्ती सूची बनाया गया जिसपर मेरे द्वारा तथा शिवजी सिंह के द्वारा हस्ताक्षर किया गया, जिसे मैं पहचानता हूँ, जिसे पूर्व में प्रदर्श 1/1 तथा 1/2 अंकित किया जा चुका है। मोटरसाईकिल छोड़कर भागने वाले व्यक्तियों का नाम पूछने पर बताया कि वह लालजी राय एवं लालू राय थे। जप्त प्रदर्श, अभियुक्त तथा उनके मोटरसाईकिल को लेकर थाना आए। केस के आई0ओ0 ने मेरा बयान लिया था।

प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि मुझे यह ध्यान नहीं है कि घटना वाले दिन अंजोरिया था कि अंधेरिया था। घटना लगभग 8.00 बजे रात्रि की है। घटना स्थल पर हम कुल 5–6 लोग गए थे। सभी लोग पुलिस जीप से गए थे। उन पॉचों लोगों में क्रमशः शिवजी सिंह, रामपुलिस सिंह, सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, बड़ा बाबु सुरेश बाबु एवं विमल बाबु थे। घटनास्थल आम रास्ता है जहॉ आदमी आते –

जाते है। कुल लगभग आधा घंटा तक घटनास्थल पर रहे थे। उस आधा घंटा के दौरान कोई आदमी उस रास्ते से नहीं गुजरा था। घटनास्थल से जब वापस लौटे थे तब उसी गाड़ी से लौटे थे जिस गाड़ी से गए थे। वहॉ से थाना वापस रात में 9.30 बजे लौटा था। इस केस में एफ0आई0आर0 किसके द्वारा और कब लिखा गया था मुझे जानकारी नहीं है। इस केस के एफ0आई0आर0 का कागज मैनें देखा है। एफ0आई0आर0 हाथ से लिखा हुआ है। उस एफ0आई0आर0 में शिवजी सिंह, रामपुलिस सिंह और सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ने अपना हस्ताक्षर बनाया है। एफ0आई0आर0 पर हम तीनों आदमी ने थाना में हस्ताक्षर बनाया था। घटना स्थल की चौहदी के उत्तर में गंगा जी का बॉध है, दक्षिण में नेकनाम टोला है, पूर्व तथा पश्चिम में क्या है मैं नहीं बता सकता। घटनास्थल पर हमलोग लगभग 8.30 बजे रात्रि में पहुॅचा था। थाने से कब चला था मुझे याद नहीं है। एक गाड़ी पैशन प्रो तथा एक गाड़ी स्कूटी था। पैशन प्रो तथा स्कूटी का क्लर काला था। दोनों गाड़ी कितने दूरी पर खडा था मैं नहीं बता सकता। इस केस में जिसमें मैं गवाही देने आया हूॅ उसमें कुल दो अभियुक्त धुरखेली राय एवं लाल बहादुर राय है। यही दोनों अभियुक्त पर केस हुआ है। गिरफ्तारी के समय धुरखेली राय गंजी और लूॅगी पहने थे तथा लालबहादुर राय क्या पहने थे इसका मुझे ध्यान नहीं है। दोनों अभियुक्त की उम्र लगभग 35 से 37 के बीच होगी। दोंनों मोटरसाईकिल लालबहादुर राय एवं धुरखेली राय चला रहे थे। यह मैं नहीं बता सकता कि किसका मोटरसाईकिल आगे था और किसका पीछे। दोनों मोटरसाईकिल के चालकों को मेरी टीम ने पकड़ लिया था और पीछे बैठे लोग भाग गए थे। दोनों अभियुक्त कौन–कौन सी गाड़ी चला रहे थे यह मैं नहीं बता सकता हूॅ। यह बात सही है कि सुरेश रविदास मेरे बड़े बाबु है। यह बात भी सही है कि मैं अपने बड़े बाबु सुरेश रविदास के किसी भी आदेश का उल्लघंन नहीं कर सकता हूॅ। उन्होंने मुझसे कितनी जगह पर हस्ताक्षर कराए यह मुझे याद नहीं है लेकिन एक जगह हस्ताक्षर कराए थे। सुरेश रविदास ने जिस कागज पर मुझसे हस्ताक्षर कराया था उसको मैनें पढ़ा नहीं था, क्योंकि मैं उतना पढ़ा लिखा नही हूॅ। यह बात सही है कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूॅ। मेरे अलावा शराब वाले कागजात पर कुल तीन आदमी लोगों ने हस्ताक्षर किया था जो क्रमशः शिवजी सिंह, रामपुलिस सिंह और सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ने हस्ताक्षर किया था। यह तीनों आदमी के हस्ताक्षर करने में 2 मिनट का समय लगा था। शराब वाला कागज फार्म जैसा था। मैं चौकीदार विरेन्द्र पासवान को जानता हूॅ। यह मुझे जानकारी नहीं है कि अभियुक्तगण एवं विरेन्द्र पासवान के बीच कोई विवाद है। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण की गिरफ्तारी घटनास्थल पर नहीं हुई और उनको उनके घर से उठाकर इस मुकदमें में झूठा फंसा दिया गया है। यह कहना गलत है कि विरेन्द्र पासवान के कहने के कारण हमलोगों ने अभियुक्तगण को इस मुकदमें में झूठा फॅसा दिया गया है। शराब को जप्त होते मैनें देखा था। 48 लीटर शराब बोरा से मिला था। किस बोरा से मिला था यह मुझे याद नहीं है। शराब वाला कागज जिसपर मेरा हस्ताक्षर हुआ है उसको विमल बाबु लिखे थे। विमल बाबु केस के अनुसंधानकर्ता है। घटनास्थल से थाने आने में लगभग पौन घंटा लगा होगा। इस केस के अनुसंधानकर्ता विमल बाबु मेरी गवाही नहीं लिए थे। मुझे याद नहीं है कि मुझसे हस्ताक्षर कराने वाले अधिकारी विमल बाबु थे कि सुरेश रविदास थे, हस्ताक्षर थाने पर हुआ था। मेरे साथ सारे अधिकारियों ने थाने पर हस्ताक्षर किया था। यह कहना गलत है कि हमलोग चौकीदार के कहने के अनुसार एक निर्दोष आदमी को इस मुकदमें में फॅसा

दिए है। मुझे गवाही का आदेश हुआ था इसलिए मैं गवाही देने आया हूॅ। यह कहना गलत है कि मैं झूठी गवाही दे रहा हूॅ। मैने जो गवाही दिया है वह बिल्कुल सहीं है।

11. अभियोजन साक्षी संख्या 4 बिरेन्द्र कुमार बिमल है, इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 21.05.2021 को मैं बड़हरा थाना में पु0स0अ0नि0 के पद पर पदस्थापित था। उस दिन बड़हरा थानाकाण्ड संख्या 301/2021 दिनांक 21.05.2021 का अनुसंधान भार मुझे थानाध्यक्ष डी0एन0 सिंह के द्वारा मुझे सौपां गया। प्राथमिकी को मैनें केस डायरी में अंकित किया, फिर मैनें जप्ती सूची को अंकित किया, फिर मैनें वादी सुरेश रविदास पु0अ0नि0 का पुनः बयान लिया बयान लेने के बाद मैनें केस डायरी में अंकित किया। गिरफ्तार अभियुक्त को सफाई बयान लेकर हाजत में बंद किया। फिर दिनांक 22.05.2021 को घटनास्थल के लिए प्रस्थान किया। घटनास्थल पर स्थानीय चौकीदार विरेन्द्र प्रसाद के साथ गया, जिसके बताए अनुसार घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल नेकनाम टोला स्थित बांध के किनारे घटनास्थल के उत्तर में बांध के किनारे सेमर का पेड़, दक्षिण में बांध के किनारे आम का पेड़, पूर्व में बांध जो नेकनाम टोला की ओर जाती है तथा पश्चिम में बांध है जो नथमलपुर की ओर जाती है। साक्षी स0अ0नि0 महेन्द्र प्रसाद का बयान लिया जिसे केस डायरी में लिया, इन्होंने घटना का पूर्ण समर्थन किया। साक्षी स0अ0नि0 ध्रुव नारायण सिंह का बयान लिया, सिपाही 130459 सुरेन्द्र प्रसाद सिंह का बयान लिया इन्होंने घटना एवं प्राथमिकी का पूर्ण समर्थन किया। जप्ती सूची के साक्षी 130364 शिवजी सिंह एवं 131945 रामपुलिस सिंह जप्ती सूची के साक्षियों का बयान लिया। फिर कैदी को न्यायालय में उपस्थापन हेतु भेजा। जप्त प्रदर्श महुआ शराब को जॉच के लिए मद्य निषेध विभाग भोजपुर, आरा को भेजा गया। पर्यवेक्षण टिप्पपी प्राप्त कर केस डायरी में अंकित किया। जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसे डायरी में अंकित किया। धारा 30 ए बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त लाल बहादुर राय, पिता – रघुनाथ राय, धुरखेली राय आरोप पत्र संख्या 326/2021 दिनांक 17.07.2021 को आरोप पत्र समर्पित किया तथा प्राथमिकी अभियुक्त लालजी राय, लालू राय, इन्दल यादव के विरूद्व पूरक अनुसंधान जारी है। यह आरोप पत्र मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है जिसे मैं पहचानता हूॅ, जिसे **प्रदर्श–4** किया जाता है। इस केस में जप्त शराब को विनिष्ट किया गया जिसका विनिष्टीकरण रिर्पोट प्राप्त है जिसे मैं पहचानता हूॅ। जिसे **प्रदर्श–5** अंकित किया जाता है। मैं दोनों मुदालह को देखकर पहचानने का दावा करता हूॅ, जो आज न्यायालय में उपस्थित नहीं है।

प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि मैं स्नातक तक पढ़ा–लिखा हूॅ। मुझे यह जानकारी नहीं है कि किस कानुनी प्रावधान के अन्तर्गत बयान लिया जाता है। हॉ यह बात सहीं है कि उसका कानूनी प्रावधान के अन्तर्गत बयान लिया जाता है। यह बात सही है कि मैनें गवाही लेने के संदर्भ में कोई अलग से ट्रैनिंग नहीं की है परन्तु मैं अपने कार्य के अनुभव से बयान लेता हूॅ। इस केस के वादी पु0अ0नि0 सुरेश रविदास है। मैनें उनका पुनः बयान लिया था और काण्ड दैनिकी के पैरा नम्बर–2 में दर्ज किया है। यह बात सही है कि मैनें उसमें समय का उल्लेख नहीं किया है। जब मैनें सूचक का पुनः बयान लिया तो उसमें उन्होंने प्राथमिकी में दर्ज बातों का पूरा समर्थन किया था इसी कारण मैनें इस बात का उल्लेख काण्ड दैनिकी के पैरा – 2 में लिखा है। यह बात सही है कि मैनें पुनः बयान पूरा का

पूरा शब्दतः नहीं लिखा है। इस काण्ड के अनुसंधान का भार मैनें दिनांक 21.05.2021 को समय 23:00 बजे बड़हरा थाना पर ग्रहण किया था। मैं जब अन्वेषण के कम में बयान लेता हूँ तो बयान देने वाले व्यक्ति से कोई हस्ताक्षर उस बयान के संदर्भ में नहीं कराता हूँ। यह बात सही है कि जब मै बयान लेता हूँ तो उसकी विडियो रिकॉर्डिग नहीं लेता हूँ। यह बात सही है कि मैनें अन्वेषण के कम में जप्ती सूची के गवाहों के बयान लिया था और उसके हस्ताक्षर कहीं नहीं करवाए थे। यह बात सही है कि मैनें अन्वेषण के कम में जिन–जिन लोगों का बयान काण्ड दैनिकी में दर्ज किया है उनसब का बयान मैनें थाने पर हीं लिया था। मैनें अनुसंधान के कम में कुल 6 व्यक्तियों के बयान जिनके नाम कमशः पु0अ0नि0 सुरेश रविदास, स0अ0नि0 महेन्द्र प्रसाद, स0अ0नि0 ध्रुव नारायण सिंह, सिपाही 130459 सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, बी0एस0जी0 13064 शिवजी सिंह, बी0एस0जी0 131943 रामपुलिस सिंह है। मैनें उपरोक्त सभी लोगों की गवाही एक–एक करके लिया था उनके बीच में समय अंतरात वो समय कितना मिनट था मैं नहीं बता सकता। कुल बयान दर्ज करने में कितना समय लगा मैं नहीं बता सकता। यह बात सही है कि मैनें जिन–जिन लोगों का बयान लिया है और काण्ड दैनिकी में दर्ज किया है उसमें समय का वर्णन नहीं किया है। यह बात सही है कि अनुसंधान कार्य के अन्तर्गत् एक आई0 ओ0 के क्या–क्या कर्तव्य होते है वह मैं जानता हूँ। यह बात सही है कि मैनें अनुसंधान के कम में जिन–जिन लोगों का बयान काण्ड दैनिकी में दर्ज किया है वे सभी लोग मेरे हीं थाने में कार्यरत है। यह बात सही है कि जब मुझे अनुसंधान के कम में प्राथमिकी मिली थी तो मैनें उसे स्वंय पढ़ा था और उसको मैनें काण्ड दैनिकी के पैरा–1 में लिपिबद्ध किया है। अनुसंधान के कम में मैनें घटनास्थल का निरीक्षण किया था और स्वतंत्र गवाह के बयान दर्ज हेतु वहॉ के स्थानीय लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया था परन्तु कोई भी बयान देने को तैयार नहीं हुआ था। यह बात सही है कि यह बात कि स्वतंत्र गवाह नहीं मिले, मैनें काण्ड दैनिकी के किसी पैरा में अंकित नहीं किया है। मैनें घटनास्थल का निरीक्षण 22.05.2021 को समय 07.05 सुबह किया था जिसे काण्ड दैनिकी के पैरा–9 में अंकित किया है। मैनें घटनास्थल का जब निरीक्षण किया था तब मुझे वहॉ कोई शराब नहीं मिला था। यह बात सही है कि मैनें घटनास्थल की केवल चौहदी का जिक किया है अन्य किसी चीज का वणर्न नहीं किया है। मैनें जब साक्ष्य के संदर्भ में गवाहों के बयान लिया था तो जो उन्होंने बताया था उसी को लिखा था। यह बात सही है कि काण्ड दैनिकी में जो बयान मैनें लिखा है, उसमें बहुत कुछ प्राथमिकी में दर्ज तथ्यों से मिलता–जुलता है। साक्षी महेन्द्र सिंह एंव साक्षी ध्रुव नारायण सिंह का बयान मैनें काण्ड दैनिक में दर्ज किया है। यह बात सही है कि दोनों ने एक हीं जैसा बयान दिया था। यह बात सही है कि साक्षी सुरेन्द्र प्रसाद सिंह का बयान भी उसी जैसा है। मैनें काण्ड दैनिकी के पैरा–16 में दो गवाहों का बयान एक साथ दर्ज किया है। यह बात सही है कि मैनें उसमें समय का उल्लेख नहीं किया है। मैनें यह बयान दिनांक 22.05.2021 को लिया था समय का उल्लेख नहीं किया है। मैने 21.05.2021 को रात्रि 11.00 बजे अनुसंधान कार्यभार ग्रहण किया था ओर उसके कम में जो 6 बयान मैनें लिए है वो मैनें 22.05.2021 को दिन के 12.30 बजे तक ले लिया था। मैनें गिरफ्तार दोनों अभियुक्त को अग्रिम कार्रवाई हेतु दिनांक 22.05.2021 को समय करीब दिन के 1.00 बजे न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था। अभियुक्तगण को न्यायालय में भेजने के बाद भी अनुसंधान कार्य जारी रहा और उसके अनुकम में मैनें जप्त शराब प्रदर्श को जॉच

हेतु भेजा और जब जॉच रिर्पोट आ गई तो उसके बाद विनिष्टीकरण की प्रक्रिया शूरू हुई ओर विनिष्ट के संबंध में भी मुझे रिर्पोट मिली थी, मुझे अनुसंधान के क्रम में पयवेक्षण टिप्पणी प्राप्त हुई थी और उसका मैनें पालन किया था और उसी के अनुक्रम में अनुसंधान के क्रम में एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर मैनें दोनों गिरफ्तार अभियुक्त लालबहादुर राय एवं धुरखेली राय के विरूद्व आरोप पत्र संख्या 326/2021 दिनांक 17.07.2021 को न्यायालय समर्पित किया तथा प्राथमिकी अभियुक्त लालजी राय, लालु राय एवं इन्दल यादव के विरूद्व पूरक अनुसंधान जारी रखा। पूरे अनुसंधान के दौरान जप्त मोटरसाईकिल के मालिक का नाम मैनें पता करने का प्रयास किया था और अभी–अभी पूरक अनुसंधान में उनके मालिकों के बारे में पता लगाया जा रहा है और उसके संदर्भ में पूरक काण्ड दैनिकी जल्द हीं न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। जप्त मोटरसाईकिल का मालिक कौन है इसके बारे में स्पष्ट टिप्पणी इस समय मैं नहीं कर सकता वो पूरक अनुसंधान में जारी है। इस केस का सूचक तथा जप्ती सूची के गवाहों ने इस मुकदमें में अपनी गवाही दे दी है यह बात मुझे अभियोजन के अधिवक्ता द्वारा बतायी गई है। उनलोगों ने क्या–क्या कहा ये मेरी जानकारी में नहीं है, मैं नहीं बता सकता। रामपुलिस सिंह द्वारा यह जो कथन कहा गया है कि मेरे द्वारा उनसे कोई हस्ताक्षर करवाए गए है इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता हूॅ, मुझे याद नहीं है। जप्ती सूची मेरे द्वारा तैयार नहीं की गई है। जप्ती सूची मेरे द्वारा तैयार नहीं किया गया था। इस बात की जानकारी मुझे नहीं है कि सुरेश रविदास ने न्यायालय में क्या बयान दिया था। घटनास्थल पर मैं आधा घंटा से बीस मिनट तक ठहरा था। घटनास्थल पर कुल कितने लोग गुजरे थे मैं नहीं बता सकता। घटनास्थल के चारो तरफ गॉव नहीं है। घटनास्थल के 8 किलोमीटर दक्षिण गॉव है। घटनास्थल के पूर्व में नेकनाम टोला का गॉव है। बॉध के उतर दिशा में कोई गॉव नहीं है। घटना स्थल आम रास्ता है। उस रास्ते पर हमेशा लोग आते–जाते है। मैनें कुल कितने लोगों से स्वतंत्र गवाही देने के लिए निवेदन किया था मैं नहीं बता सकता। इस पूरे अनुसंधान के क्रम में मैनें किसी भी स्वतंत्र गवाहो की गवाही नहीं किया है। सुरेश रविदास मेरे वरीय पदाधिकारी है। मैं उनके आदेश का अनुपालन करता हूॅ। पुलिस कर्मियों का मैने साक्ष्य दर्ज किया उसके बाद पर्यवेक्षण टिप्पणी आई और मैनें आरोप पत्र समर्पित कर दिया। मैनें अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी किया तथा कंडिका –27 में उसका उल्लेख किया है। मुझे इस बात की जानाकारी नहीं है कि जो मेरे पूर्व तीन गवाह मेरे समक्ष केस डायरी में जैसा गवाही दिए थे वैसा हीं गवाही न्यायालय में दिए है कि नहीं मुझे मालुम नहीं है। जैसा प्राथमिकी में लिखा गया था उसी के आधार पर मैनें अनुसंधान किया था। प्राथमिकी में लिखी गए बातों का हीं मैनें अनुसंधान किया है। अभियुक्त के निदोर्षीकरण के संबंध में मैनें अनुसंधान नहीं किया है और न हीं उसका कोई उल्लेख केस डायरी में किया है। ऐसी बात नहीं है कि मेरा जो दायित्व था उसका निर्वहण सहीं ढंग से नहीं किया हूॅ। ऐसी बात नहीं है कि घटना की सत्यता को न्यायालय के समक्ष नहीं लाया हूॅ। चौकीदार विरेन्द्र प्रसाद को जानता हूॅ। ऐसी बात नहीं है कि चौकीदार विरेन्द्र प्रसाद का अभियुक्तगण से दुश्मनी है। केस डायरी के कंडिका–3 में मैनें गिरफ्तार अभियुक्त लालबहादुर राय एवं धुरखेली राय के गिरफ्तारी का जिक्र किया है साथ हीं इनके सफाई बयान का जिक्र दैनिकी के दफा नम्बर 4 में किया है, साथ हीं साथ इनलोगों ने अपने आप को निर्दोष बताया है। ऐसी बात नहीं है कि चौकीदार से अभियुक्तगण की दुश्मनी है तथा चौकीदार के कहने पर

अभियुक्तगण को गलत ढंग से फॅसाया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि इस केस के सूचक एवं गवाह के दबाव में मैनें अभियुक्तगण के निर्दोषीकरण का बयान सहीं ढंग से दर्ज नहीं किया है। ऐसी बात नहीं है कि मैनें इस बिन्दु पर कोई अनुसंधान किया। ऐसी बात नहीं है कि मैनें अनुसंधान अपने वरीय पदाधिकारी के कहे अनुसांर गलत ढंग से किया है। ऐसी बात नहीं है कि मैनें अपने कर्तव्य का निर्वहण सहीं ढंग से नहीं किया है। मैनें आज न्यायालय में बिल्कुल सहीं गवाही दिया है।

12. अभियोजन साक्षी संख्या 5 प्रकाश कुमार राम है, इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 20.06.2021 को मैं उत्पाद कार्यालय, भोजपुर, आरा में उत्पाद निरीक्षक के पद पर पदस्थापित था, उस दिन बड़हरा थाना काण्ड संख्या 301/2021 दिनांक 21.05.2021 के द्वारा जप्त उत्पाद नमूना प्रदर्श सीलबंद मैनें पाया, जप्त प्रदर्श के नमूना का जॉच किया जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

i). जप्त उत्पाद नमूना प्रदर्श का विवरण–1 लीटर प्लास्टिक के बोतल में सीलबंद, 1–1 लीटर का दो नमूना प्रदर्श देशी महुआ शराब।

ii). जप्त नमूना प्रदर्श की शक्ति– प्रदर्श–1, ताप–85, संकेत– 87.4, शक्ति– 70.1 यू0पी0, प्रदर्श–2– ताप– 85, संकेत– 88, शक्ति– 71.9 यू0पी0 यह देशी महुआ शराब है, शराब जॉच प्रतिवेदन मेरी लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, जिसे **प्रदर्श–6** अंकित किया जाता है।

प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि शराब जॉच करने की दो विधियॉ है, पहला यांत्रिकी विधि तथा दूसरा रासायनिक विशलेषण विधि है। मैनें उक्त शराब की जॉच यांत्रिकी विधि के तहत् किया है। शराब जॉच करने के लिए मैनें थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर, रिडिंग ग्लास जैसे यंत्र का उपयोग किया है। हाइड्रोमीटर किसी तरल पदार्थ का घनत्व बताता है, थर्मामीटर ताप बताता है तथा रिडिंग हाइड्रोमीटर के तहत् लेते है। यू0पी0 का मतलब– Under Proof होता है। मेरे पास शराब दिनांक 03.06.2021 को जॉच के लिए सहायक आयुक्त मद्य निषेद्य, भोजपुर से मिला है। जब मुझे शराब जॉच करने के लिए मिली तब मैनें उसका रिर्पोट 10 से 15 मिनट में तैयार कर लिया था। जो शराब मुझे मिली थी उसपर थानाकाण्ड संख्या, न्यायालय का हस्ताक्षर तथा वह सीलबंद रहता है। शराब जॉच करने के तुरन्त बाद शराब को विनिष्ट कर दिया गया था।

प्रश्न :– आपने जॉच का कौन सा आधार पाया जिससे पता चला कि यह शराब देशी महुआ शराब है

उतरः–यांत्रिकी विधि से शराब की जॉच विदेशी एवं देशी दोनों प्रकार से शराब की जॉच की जा सकती है, जिसमें विदेशी शराब की शक्ति 25.4 यू0पी0 से लेकर 30 यू0पी0 होती है इससे उपर जब शराब की शक्ति जाती है तो देशी शराब मानी जाती है।

देशी शराब चावल सड़ा, मीठा सड़ा कर एवं महुआ से भी बनाया जा सकता है। शराब के रंग के साथ–साथ उसमें कुछ गंध होती है, गंध के प्रकृति के अनुसार शराब में अंतर किया जा सकता है। मैनें शराब जॉच करने का प्रशिक्षण नरकटियागंज चिनी मिल से लिया है, वहीं पर स्प्रिट भी बनता है। महुआ शराब एक से दो महीना में खराब हो जाता है, तथा अंग्रेजी शराब सालों तक अच्छा रहता है। मैनें किताब से यह पढ़ा है तथा यह आर्ग्रेनिक किसी भी बुक में मिल जाएगा जो बाते मैनें उपर बताई है। जो बोतल जॉच के लिए मुझे मिला था

उसके उपर देशी महुआ शराब लिखा हुआ था। मुझे दो बोतल शराब अलग–अलग जॉच करने के लिए मिला था। दोनों बोतल में अलग–अगल देशी महुआ शराब लिखा हुआ था। मुझे जो बोतल मिला था उसमें प्रदर्श –1 एवं प्रदर्श–2 लिखा हुआ था। यह कभी नहीं हो सकता है कि यांत्रिकी विधि में जॉच प्रक्रिया खराब हो सकती है। मेरे द्वारा उस यंत्र का जॉच किया गया था तथा वह यंत्र पटना से जॉच होकर हीं आती है। मैनें यंत्र जॉच करने के लिए जेनरल विधि अपनाई थी। ऐसी बात नहीं है कि देशी महुआ शराब 8 से 10 दिन में खराब हो जाता है। मैनें अपने प्रतिवेदन में शराब की जॉच किस विधि से किया है यह नहीं लिखा है। मैनें अपने शराब जॉच प्रतिवेदन में परिणाम लिखा है प्रक्रिया नहीं लिखा है। ऐसी बात नहीं है कि मैनें शराब के उपर देशी महुआ शराब लिखा हुआ था उसी के आधार पर देशी महुआ शराब का प्रतिवेदन तैयार किया है। ऐसी बात नहीं है कि मैनें जो भी प्रतिवेदन तैयार किया है वह केवल अनुभव के आधार पर तैयार किया है। ऐसी बात नहीं है कि मैंनें शराब की जॉच विधिवत तरीके से नहीं किया है। अगर न्यायालय के द्वारा शराब की जॉच की प्रक्रिया मॉगा जाएगा तो मैं दे सकता हूॅ। यह बात सही है कि जो मैनें जॉच रिर्पोट न्यायालय में इस पत्रावली में दाखिल है जो मेरे द्वारा बनाई गई है उसमें मैनें किस पद्वति का प्रयोग करके जप्त नमूना प्रदर्श की जॉच किया है, उसका वर्णन नहीं किया है। मुझे टैनिंग के दौरान यह नहीं बताया गया है कि जब मुझे जॉच रिर्पोट तैयार करनी है तब उसमें विहित प्रक्रिया का उल्लेख किया जाना चाहिए की नहीं। मैंनें अपने कार्यकाल में लगभग 2500 हजार मामलों में नमूना जॉच करके जॉच रिर्पोट तैयार की है। ऐसी बात नहीं है कि मैनें जो भी रिर्पोट दिया है वह रूटिन वे में दिया है। मैनें पूर्व में भी जितना प्रतिवेदन दिया है उसमें किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया है। मैनें जो प्रतिवेदन जो न्यायालय में समर्पित किया है उसके अलावा इस मुकदमें से संबंधित किसी भी अन्य बात की जानकारी मुझे नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि मैने आज न्यायालय में जो भी गवाही दिया है वह बिल्कुल झूठा दिया है।

13. बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित बचाव साक्षी संख्या 1 रामबाबू पासवान ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मैं जिस केस में गवाही देने आया हूॅ उस केस के दोनों अभियुक्तों को पहचानता हूॅ, जिनके नाम क्रमशः धुरखेली राय, पिता– स्व0 सुराजी राय, लाल बहादुर राय, पिता– रघुनाथ राय है। धुरखेली राय के गॉव का नाम सबलपुर रंगोली है तथा लाल बहादुर राय के गॉव का नाम पचगछिया है। धुरखेली राय का गॉव मेरे गॉव से आधा किलोमीटर दूर है तथा लाल बहादुर राय का घर मेरे घर के बगल में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। धुरखेली राय और मेरा पंचायत बखोरापुर में पड़ता है तथा लाल बहादुर राय का पंचायत नेकनामटोला में पड़ता है। दोनों अभियुक्तगण को पुलिस दिनांक 22.05.2021 को पकड़ी थी। धुरखेली राय को पुलिस ने 08.00 बजे सुबह में पकड़ी थी, हल्ला सुनकर हमलोग गए और देखे कि धुरखेली राय को पुलिस घर से पकड़कर गाड़ी में ले जा रही थी। उसके बाद पुलिस बात करने लगी कि लाल बहादुर राय का घर किधर है तब विरेन्द्र चौकीदार ने बोला कि सर हम ले चलते है लाल बहादुर राय के घर। पुलिस की गाड़ी फिर लाल बहादुर राय के घर के तरफ चल दी। पुलिस जब लाल बहादुर राय के घर के तरफ चली तो हमलोग भी पीछे–पीछे जाने लगे। जब मैं उनके घर पर पहॅुचा तो देखा कि लालबहादुर राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों अभियुक्तों को जब पुलिस ने पकड़ा तब उनके पास

से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। हमलोगों ने हल्ला सुना कि शराब के केस में दोनों को पकड़ा गया है। दोनों अभियुक्तों को पकड़कर पुलिस ने थाना ले गया। आज मुझे न्यायालय में गवाही देने के लिए लालबहादुर राय ने कहा है तभी मैं आया हूँ। आज मुझे न्यायालय में दोनों अभियुक्तों के द्वारा सच बोलने के लिए कहा गया है। घटनास्थल पर करीब 20 लोग वहाँ इकठा हुए थे। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को बिल्कुल झूठे मुकदमें में गिरफ्तार किया है। दोनों अभियुक्त गिरफ्तारी के समय अपने–अपने घर पर थे। आज दोनों अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित है। जिसे मैं पहचानता हूँ तथा इन्हीं अभियुक्तों को पुलिस ने दिनांक 22.05.2021 को गिरफ्तार किया था। धुरखेली राय को सुबह 8.00 बजे गिरफ्तार किया गया था तथा लाल बहादुर राय को सुबह 9.00 बजे गिरफ्तार किया गया था आज न्यायालय में मैनें बिल्कुल सही गवाही दिया है।

प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि मैं मजदूरी प्रतिदिन करता हूँ। मैं प्रतिदिन सुबह 9.00 बजे से मजदूरी करने के लिए जाता हूँ तथा शाम को वापस आता हूँ। मैं अपने घर से धुरखेली राय के घर जाने में 5 से 7 मिनट का समय लगता है और लालबहादुर घर जाने में लगभग 10–15 मिनट का समय लगता है। जिस केस में मैं गवाही देने आया हूँ वह घटना 22.05.2021 की है। घटना सुबह की है। मैं दिनांक 22.05.2021 को ड्यूटी करने नहीं गया था मैं घर पर था। जब हल्ला होता है तो एक दूसरी की बात सुनाई पड़ती है इसलिए हमलोग घटनास्थल पर चले आए। पुलिस ने सबसे पहले अभियुक्त धुरखेली राय को गिरफ्तार किया था। जब इन लोगों को पुलिस पकड़कर ले चली गई तो हमलोगों ने इस बात कि शिकायत कहीं पर नहीं किया था। धुरखेली राय भी मजदूरी का काम करते है इसलिए मैं इनको पहचानता हूँ। घटना के दिन गॉव के और लोग भी घटना के बारे में जानते है। ऐसी बात नहीं है कि मैं अभियुक्त के गॉव का हूँ तथा अभियुक्त भी मजदूरी करते है इसलिए इनलोगों को बचाने के लिए झूठी गवाही दे रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मुदालह के मेल में आकर मैं झूठी गवाही दे रहा हूँ।

14. बचाव साक्षी संख्या 2 रघुनाथ राय ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मैं जिस केस में गवाही देने आया हूँ उस केस के दोनों अभियुक्तों को पहचानता हूँ, जिनके नाम क्रमशः धुरखेली राय, पिता– स्व0 सुराजी राय, लाल बहादुर राय, पिता– रघुनाथ राय है। दिनांक 22.05.2021 को अभियुक्त लाल बहादुर राय को सुबह 9.00 पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के समय मैं अपने दरवाजे पर था। जब पुलिस की गाड़ी आई तो मुझे बुलाया गया तो मैनें देखा कि पुलिस की गाड़ी पर धुरखेली राय पहले से बैठा हुआ था। पुलिस आकर मुझसे पूछी कि लालबहादुर राय का घर यही है तो मैनें कहा कि हॉ यही है। पुलिस ने मुझसे पूछा कि लालबहादुर राय कहॉ है तो मैनें कहा कि वह अपने घर पर है। पुलिस के कहने पर मैनें लालबहादुर राय को अंदर से बुलाया क्योंकि मुझे जानकारी नही था कि उनपर कोई केस है। लालबहादुर राय को जब बुलाया तब पुलिस ने उनको पकड़ लिया। लालबहादुर राय को पुलिस पकड़कर बोली कि इसपर केस है और उसे थाना ले गई। लालबहादुर राय के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। दिनांक 22.05.2021 को जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था वो आज न्यायालय में उपस्थित है, जिन्हें मैं पहचान रहा हूँ।

प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि अभियुक्त लाल बहादुर राय मेरे पुत्र है तथा धुरखेली राय मेरे बगल के है इन लोगों के कहने पर मैं गवाही देने आया हूँ। घटना 22.05.2021 की है। मैं घटना के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। उस दिन मैं

अपने दरवाजे पर था। पुलिस मेरे दरवाजे पर आई और बोली कि लालबहादुर राय का घर यही है तो मैनें कहा कि हॉ यहीं है। लालबहादुर राय को पुलिस ने शराब के केस में गिरफ्तार किया है। मेरे बेटे को झूठा फॅसाया गया है इस विषय में मैनें कहीं पर भी शिकायत नहीं किया है। ऐसी बात नहीं है कि अभियुक्त लाल बहादुर राय मेरे पुत्र है तथा धुरखेली राय मेरे बगल है जिनको बचाने के लिए मैं झूठा गवाही दे रहा हूॅ।

15. बचाव साक्षी संख्या 3 रंगनाथ सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि न्यायालय में उपस्थित दोनों अभियुक्तों का मैं पहचान रहा हूॅ, इनका नाम धूरखेली राय एवं दूसरे का नाम लाल बहादुर राय है। दोनों लोगों को पुलिस ने 22.05.2021 को गिरफ्तार की थी। धूरखेली राय सबलपुर गंगौली के रहने वाले है और लाल बहादुर राय अलेखी टोला के रहने वाले है। धूरखेली राय का गॉव एवं मेरा गॉव सटा हुआ है। धूरखेली राय को सुबह 8 बजे गिरफ्तार किया गया था। उनको उनके घर के दरवाजे से गिरफ्तार किया गया था, उस समय मैं धूरखेली राय के दरवाजे पर बुलाने के लिए गए थे क्यों कि वह लकडी का कार्य करता है इसलिए मैं उसके दरवाजे पर गया था। मेरा गाछ गिरा हुआ था इसलिए उसे कटवाने के लिए धूरखेली राय के पास गए थे। वहॉ गए तो देखे के धूरखेली राय को उनके दरवाजा से पकड़ा गया। धूरखेली राय के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। धूरखेली राय को गिरफ्तार करके पुलिस की गाडी लाल बहादुर राय के दरवाजे पर गई। मैं देखने के लिए जा रहा था कि धूरखेली राय को कहा ले जा रहे है इसलिए पीछे पीछे गए थे। लाल बहादुर राय को भी उनके घर से 9 बजे पकड लिया गया। लाल बहादुर राय के पास से कुछ भी नहीं पकडाया था। दोनों लोगों को पकडकर पुलिस थाना में ले गई थी। मैं थाना पर नहीं गया था, मैं बाजार से ही लौट आया था। आज गवाही देने के लिए मुझे अभियुक्त लोगों ने कहा था कि न्यायालय में चल कर जो सहीं बात है उसकी गवाही दे दिजीए। आज न्याायलय में मैनें जो भी गवाही दिया है सहीं दिया है किसी के दबाव में आकर गवाही नहीं दिया है।

प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि मैं आज गवाही देने के लिए दोनों अभियुक्तों के कहने पर आए है। कोर्ट से मुझे नोटिस नहीं मिली थी। जिस केस में मैं गवाही देने आया हूॅ वह 2021 का मुकदमा है, घटना के बारे में जानते है। मैं गृहस्थी का काम करता हूॅ। जब अभियुक्तों को पुलिस पकड कर ले गई तो मैं कहीं किसी भी पदाधिकारी के पास नहीं गया था और न ही कोई आवेदन दिया था न ही किसी पदाधिकारी को सूचना दिया था। ऐसी बात नहीं है कि अभियुक्त लोगों से मेरी पुरानी जान पहचान है इसलिए मैं उनके पक्ष में गवाही दे रहा हूॅ।

16. इस मामले में राज्य की ओर से विद्वान् लोक अभियोजक, उत्पाद द्वारा बहस में कहा गया कि अभियोजन ने इस मामले में 5 साक्षियों को परीक्षित कराया है और सभी ने मामले को पूर्णतया साबित किया है। जप्ती सूची प्रदर्श–01 से अभियोजन यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त को घटनास्थल से अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। जप्ती सूची जो कि प्रदर्श–01 है उस पर अभियुक्त का भी हस्ताक्षर है जो प्रदर्श–01 की विश्वसनीयता को संपुष्ट करता है। उनके द्वारा आगे कहा गया है कि प्रदर्श–06 जो कि जॉच प्रतिवेदन है उससे यह साबित होता है कि उक्त बरामद शराब वास्तविक अर्थों में देशी महुआ

शराब थी। अभियोजन द्वारा प्रदर्शित कराये गये दस्तावेज पूर्णतया साबित है और अभियोजन मामले को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है। उनके द्वारा आगे यह भी कहा कि बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 32 के अंतर्गत यदि अभियुक्त व्यक्ति किसी शराब, मादक द्रव्य या ऐसी शराब के विनिर्माण या भंडारण में अंतर्ग्रस्त सामग्री, बर्तन, उपकरण व कब्जा रखने के संबंध में विवरण देने में असमर्थ होता है तो अभियुक्त व्यक्ति के अपराध कारित करने की उपधारणा की जायेगी। इस मामले में अभियुक्त ने शराब बरामदगी के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है तथा अभियोजन ने अपना मामला पूर्णतया साबित किया है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध दोषी होने की उपधारणा दर्शित होती है। अंत में उनके द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

17. बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि इस मामले में अभियोजन साक्षियों के साक्ष्यों में परस्पर गंभीर विसंगतिया है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, सभी गवाह पुलिसकर्मी हैं जिससे उनके साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि बचाव साक्षियों ने अपने परीक्षण में एक स्वर में यह कथन किया है कि अभियुक्तों को दिनांक 22.05.2021 को उनके घर से गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से किसी आपत्ति जनक समान की बरामदगी नहीं हुई है तथा चौकीदार विरेन्द्र प्रसाद की पूर्व रंजिश की वजह से इस वाद में झूठा फसाया गया है। इसके अतिरिक्त आगे यह कहा है कि जब्त प्रदर्श का जॉचकर्ता अधिकारी उत्पाद निरीक्षक है और अभियोजन पक्ष उसका शराब परीक्षण संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करने के संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया है, इस लिए उसका साक्ष्य विशेषज्ञ साक्षी की कोटि में नहीं आता है। अंत में अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

परिशीलन (Discussion)

18. अपराधिक विधि का यह स्थापित नियम है कि अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने का दायित्व अभियेाजन पक्ष पर होता है। इस संबंध में अभियोजन पर अपने मामले को सिद्ध करने का उतना ही भार रहता है, जितना एक व्यक्ति उस पर युक्तियुक्त विश्वास कर सके, इससे अधिक नहीं।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त को धारा 30(ए) बिहार मद्यनिषेद्य एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम 2018 के अंतर्गत आरोपित किया गया है तथा अभियोजन द्वारा मामले में पॉच साक्षियों को परीक्षित कराया गया है। अतएवं उपरोक्त अधिनियम का अध्याय VIII अपराधी का पता लगाना, अनवेषण तथा विचारण में उपबंधित प्रावधान के अतर्गत धारा 73 (प्रवेश करने, निरीक्षण करने, तलाशी लेने तथा अभिग्रहण करने की शक्ति), धारा 74 (बिना वारंट के गिरफ्तार करने या निरूद्ध करने की शक्ति) एवं धारा 78 (अन्वेषण करने की शक्ति) का अवलोकन आवश्यक हो जाता है। जो इस प्रकार है –

धारा 73– प्रवेश करने, निरीक्षण करने, तलाशी लेने तक अभिग्रहण करने की शक्ति – निम्नलिखित में से कोई भी पदाधिकारी यथा –

(क) उत्पाद आयुक्त या

(ख) कलक्टर या

(ग) कलक्टर द्वारा प्राधिकृत प्रखण्ड स्तर और उपर का कोई अन्य पदाधिकारी या
(घ) कोई उत्पाद पदाधिकारी या
(ङ) सहायक अवर निरीक्षक पद से अन्यून शक्ति का कोई पुलिस पदाधिकारी या
(च) राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी या अभिकरण या बल, सशस्त्र या अन्यथा,

बिना वारंट के लेकिन वैसे प्रतिबंध जो राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाये, के अध्यधीन, किसी जगह, किसी समय, दिन हो या रात, प्रवेश कर सकेगा, निरीक्षण कर सकेगा, तलाशी ले सकेगा तथा किसी दस्तावेज नमूने, उपकरण, परिवहन, पशु, सामान, मादक द्रव्य, पदार्थ कच्चे माल या किसी अन्य संबंधित चीज का अभिग्रहण कर सकेगा।

धारा 74– बिना वारंट के गिरफ्तार करने या निरूद्ध करने की शक्ति– (1) धारा 373 में उल्लिखित पदाधिकारियों में से कोई पदाधिकारी, किसी व्यक्ति तक या किसी भी वन्हन पशु, परिवहन के साधन को, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन दण्ण्डनीय अपराध को करते हुए या अपराध करने की कोशिश करते हुए पाता है तो वह किसी समय, दिन हो या रात, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा या निरूद्ध कर सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन सभी गिरफ्तारी कलक्टर को तुरंत प्रतिवेदित की जायेगी।

धारा 78– अन्वेषण करने की शक्ति –

(i) कोई उत्पाद पदाधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किसी दंडनीय अपराध का अन्वेषण कर सकेगा।

(ii) कोई पुलिस पदाधिकारी जो सहायक अवर निरीक्षक पद से अन्यून पंक्ति का हो, इस अधिनियम के अधीन किसी दंडनीय अपराध का अन्वेषण कर सकेगा।

19. उपरोक्त विधिक प्रावधानों के आलोक में, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य संवीक्षा में पाता हूॅ कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 प्रस्तुत मामले का सूचक है और इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षण में अभियोजन कथानक एवं प्राथमिकी का पूर्णरूपेण समर्थन करते हुए कहा है कि वह दिनांक 21.05.2021 को बड़हरा थाना में अवर निरीक्षक के पद पर पदस्थापित था। उसे सूचना मिली कि लाली राय एवं इन्दल राय के द्वारा देशी शराब मंगवाया गया है एवं उसका डिलीवरी नेकनाम टोला बॉध पर होने वाला है तब वह वरीय पदाधिकारी एवं थाना को सूचना से अवगत कराया। उसके बाद वह थाना के पदाधिकारी ए0एस0आई0 ध्रुव नारायण सिंह, महेन्द्र प्रसाद तथा सशस्त्र बल के जवान रामपुलिस सिंह, शिवजी सिंह, सुरेन्द्र प्रसाद सिंह तथा स्थानीय चौकीदार विरेन्द्र पासवान 3/5 के साथ सूचना के सत्यापन के लिए नेकनाम टोला के लिए प्रस्थान किया। जहॉ शराब कारोबारी के आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर के बाद दो मोटरसाईकिल दिखायी दिया, जिसपर दो–दो व्यक्ति सवार थे। जिस पर बोरा रखा हुआ देखा गया। इस साक्षी ने आगे साक्ष्य में कहा है कि सशस्त्र बल के सहयोग से उनको घेर कर रोकने का प्रयास किया। तब पुलिस को देखकर दोनों मोटरसाईकिल वाले भागने लगे। जिसमें से एक मोटरसाईकिल पर बैठे चालक एवं एक व्यक्ति को पकड लिया गया एवं दूसरा मोटरसाईकिल चालक अपना मोटरसाईकिल छोड़कर फरार हो गया। दोनों

मोटरसाईकिल के पीछे एक लाल रंग की स्कूटी आ रहा था, जो पुलिस को देखकर भाग गया। दोनों व्यक्तियों ने अपना नाम लाल बहादुर राय एवं घुरखेली राय बताया और भागने वाले व्यक्यिों के बारे में पूछने पर एक का नाम लालजी राय एवं दूसरे का इन्दल राय बताया। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि सशस्त्र बल एवं पदाधिकारी ने अपना जमा तलाशी देते हुए मोटरसाईकिल के साथ पकडाया बोरे का तलाशी लिया गया। तलाशी में बोरे में से 8 लीटर का 8 पॉलीथिन पैक 8 पीस कुल 64 लीटर देशी महुआ शराब तथा दूसरे मोटरसाईकिल पर से 8 लीटर का 6 पॉलीथिन पैक जिसमें 48 लीटर कुल 112 देशी महुआ शराब बरामद हुआ। इस साक्षी ने आगे कहा है कि वहॉ उपस्थित स्थानीय लोगों से आग्रह किए लेकिन वह साक्षी बनने से इंकार कर दिये तब पदाधिकारी ध्रुव नारायण के द्वारा सशस्त्र बल के जवान रामपुलिस सिंह एवं शिवजी सिंह के समक्ष विधिवत जप्तीसूची बनाया गया। इस साक्षी ने ध्रुव नारायण सिंह के लिखावट एवं हस्ताक्षर को पहचानना कहा है। अभियोजन ने जप्ती सूची को प्रदर्श पी0 01 के रूप में साबित करवाया है। इस साक्षी ने शिवजी सिंह एवं रामपुलिस सिह द्वारा जब्ती सूची पर हस्ताक्षर बनाया जाना एवं उसे पहचानना कहा है। जिसे प्रदर्श पी0 1/1 एवं प्रदर्श पी0 1/2 के रूप में अभियोजन द्वारा साबित कराया गया है। इस साक्षी ने जब्ती सूची की प्रति दोनों अभियुक्तों को दिया जाना बताया। इस साक्षी ने जब्त शराब एवं अभियुक्तों को गिरफ्तार कर थाना वापस आना एवं टंकित आवेदन प्रदर्श पी0 2 पर अपना हस्ताक्षर करना एवं उस पर हुए पृष्ठांकन को पुअनि0 दीप नारायण सिंह के लिखावट एवं प्रदर्श 2/1 हस्ताक्षर में होना पहचानना तथा औपचारिक प्राथमिकी की लिखावट को थाना लेखक के द्वारा लेख करना और उस पर थानाध्यक्ष दीप नारायण सिंह के हस्ताक्षर को प्रदर्श 3 के रूप में साबित किया है। अतएवं इस साक्षी के उपरोक्त साक्ष्य एवं जब्ती सूची प्रदर्श पी0 21 के परिशीलन से दर्शित होता है कि अभियुक्तगण लाल बहादुर राय एवं घुरखेली राय के अधिपत्य की कथित मोटरसाईकिल के साथ पकड़ाये बोरे से कुल 112 लीटर देशी महुआ शराब की बरामदगी होने पर जब्ती हुई। इसके अतिरिक्त उक्त तथ्य की संपुष्टि जब्ती सूची प्रदर्श पी0 01 पर अभियुक्तगण लाल बहादुर राय एवं घुरखेली राय के क्रमशः हस्ताक्षर एवं अंगूठा छाप से भी हो रहा है।

इस साक्षी के आगे प्रतिपरीक्षण संवीक्षा में पाता हूॅ कि इसने कहा है कि घटनास्थल की चौहदी के पूर्व में नेकनाम टोला, पश्चिम में गंगा–भांगड, उत्तर में गंगा भांगड तथा दक्षिण में सड़क है जो बखोरापुर से बडहरा की तरफ जाती है। घटना का समय रात्रि 8.30 बजे था। मुझे सूचना 6.30 बजे मिली। दोनों मोटरसाईकिल पर दो–दो आदमी सवार कुल चार लोग थे। मैनें जो शराब दोनों मोटरसाईकिल से जब्त की थी उनका अलग–अलग वर्णन एफ0आई0आर0 में किया है और दोनों के शराब के बारे में मैं बता सकता हूॅ। दोनों मोटरसाईकिल पर कोई नंबर अंकित नहीं था, परन्तु दोनों को देखकर यह स्पष्ट बताया जा सकता है कि एक नई मोटरसाईकिल है और एक पुरानी मोटरसाईकिल थी। इस साक्षी ने आगे प्रतिपरीक्षण साक्ष्य में कहा है कि नई मोटरसाईकिल लाल बहादुर चला रहा था और दूसरा व्यक्ति घुरखेली है वह पीछे बैठा था तथा पुराना मोटरसाईकिल पर लालजी राय एवं लालू राय थे। इस साक्षी ने आगे प्रतिपरीक्षण साक्ष्य में कहा है कि घटनास्थल जहॉ से अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया तथा शराब को जब्त किया उसका कोई विडियों रिकॉडिंग मेरे पास नहीं है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षण साक्ष्य में बचाव पक्ष के सुझावात्मक प्रश्न को अस्वीकार/इंकार करते

हुए कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि मैनें दोनों अभियुक्तों को इनके घर से गिरफ्तार किया है। ऐसी बात नहीं है कि मुझे जिस व्यक्ति ने सूचना दिया था वह अभियुक्त के दुश्मन के कहने पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार उपरोक्त समग्र संवीक्षा में पाता हूँ कि इस साक्षी के साक्ष्य से तलाशी, जब्ती इत्यादि कार्यवाही में विधिक प्रावधानों की प्रक्रियागत त्रुटिया नहीं दर्शित हो रही है। फलतः इस साक्षी का मुख्य साक्ष्य उसकी प्रतिपरीक्षण साक्ष्य में स्थिर एवं अखंण्डित रहा है। अतः अभियोजन कथानक की संपुष्टि होना पाता हूँ।

20. अग्रेतर संवीक्षा अनुक्रम में पाता हॅ कि अभियोजन साक्षी संख्या 02 ने अपनी मुख्य साक्ष्य में कहा है कि वह दिनांक 21.05.2021 को बड़हरा थाना में पुसअनि0 के पद पर पदस्थापित था। उस दिन छापामारी में निकले थे, उस दिन छापामारी में उसके साथ पुअनि0 सुरेश रविदास, पुसअनि0 महेन्द्र प्रसाद गृहरक्षक शिवजी सिंह, गृहरक्षक सुरेन्द्र प्रसाद अेर साथ में स्थानीय चौकीदार विरेन्द्र थे। जब हम लोग नेकनाम टोला बॉध के किनारे शराब कारोबारी का इंतजार करने लगे तब दो मोटरसाईकिल आता हुआ दिखायी दिया। जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से रोका गया। तब दोनों मोटरसाईकिल चालक भागने का प्रयास किया तब दो लोग पकड़ाये तथा दो लोग मोटरसाईकिल छोड़कर भागने का प्रयास किए। एक लाल रंग का स्कूटी जो लाईनर का काम करता था वह भाग गया। जो दो लोग पकड़ाये उनमें एक ने अपना नाम घुरखेली राय तथा लाल बहादुर राय बताया। फिर उसमें लदे समान का जॉच किया तो एक बोरा में 8 लीटर का 8 पैकेट तथा दूसरे से 8 लीटर का 6 पैकेट कुल 112 लीटर देशी महुआ शराब बरामद हुआ। इस साक्षी ने आगे साक्ष्य में कहा है की सुरेश रविदास के आदेशानुसार, उसने साक्षी गृहरक्षक शिवजी सिंह एवं रामपुलिस सिंह के समक्ष जब्ती सूची तैयार किया। इस साक्षी ने जब्ती सूची पर अपनी लिखावट एवं हस्ताक्षर को पहचाना है, जिसे अभियोजन पक्ष ने प्रदर्श पी 01 के रूप में साबित कराया है। इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में यह भी कहा है कि जब्ती सूची की प्रति अभियुक्त को दिया गया एवं दोनों अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया तथा दोनों अभियुक्तों ने भागने वाले व्यक्ति का नाम लालजी राय, लालू राय एवं इन्दल यादव बताया। उसके बाद गिरफ्तार अभियुक्त जब्त शराब तथा जब्त मोटरसाईकिल को लेकर थाना चले आए। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षण साक्ष्य में कहा है कि मैं थाना से घटनास्थल के लिए जैसे सूचना 18.30 बजे प्राप्त हुई थी उसके 10 मिनट के बाद हमलोग साथ में चले थे और घटनास्थल पर 19.15 बजे पहुचे। घटनास्थल पर पहुॅचने में आधा घंटा का समय लगा था। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहले हमलोग पहुचे थे और उसके कारीब 20 मिनट के आसपास अभियुक्तगण वहॉ पर पहुॅचे थे। इस साक्षी ने आगे प्रतिपरीक्षण साक्ष्य में कहा है कि जब्ती सूची के संदर्भ में स्वतंत्र गवाह के लिए प्रयास किया गया, परन्तु पुलिसियॉ कार्यवाही को देखने के कारण कोई भी स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ तो हमलोगों ने अपने में से ही लोगों को गवाह बनने का निवेदन किया तो रामपुलिस सिंह एवं सुरेन्द्र प्रसाद सिंह तैयार हुए तत्पश्चात् नियमानुसार जमा तलाशी देने के उपरांत जब्त समान के संदर्भ में दोनों गवाह की उपस्थिति में मैनें अपनी हस्तलेख में जब्ती सूची तैयार की थी, जिसपर मेरे साथ–साथ दोनों गवाहों ने भी हस्ताक्षर बनाया। इस साक्षी ने आगे अपनी प्रतिपरीक्षण साक्ष्य में कहा है कि जब्त शराब दो गाडियों पर था उसमें से एक गाडी नई थी और एक पुरानी गाड़ी थी। नई गाड़ी पर 8 लीटर का 8 पैकेट तथा पुरानी गाड़ी पर 8 लीटर का 6 पैकेट था। नई गाडी लालबाबू राय चला रहे थे

तथा पुरानी गाडी को दूसरे अभियुक्त चला रहे थे वह भाग गए। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के सुझावात्मक प्रश्न से इंकार करते हुए कहा है कि यह कहना गलत है कि चौकीदार विरेन्द्र पासवान के कहने पर हमलोग अभियुक्त को घर से पकड़कर थाना पर लाये थे। अतएवं उपरोक्त समग्र संवीक्षा से दर्शित हो रहा है कि इस साक्षी का मुख्य साक्ष्य उसकी प्रतिपरीक्षण में स्थिर एवं अखण्डित रहा है। अतः उपरोक्त साक्ष्य से अभियोजन साक्षी संख्या 01 सूचक की परिसाक्ष्य एवं अभियोजन कथानक की संपुष्टि होना पाता हूँ।

21. अग्रेतर संवीक्षा अनुक्रम में अभियोजन साक्षी संख्या 3 जो जब्ती साक्षी है एवं उसने अपनी मुख्य साक्ष्य में कहा है कि वह दिनांक 21.05.2021 को बड़हरा थाना में सिपाही के पद पर पदस्थापित था। उस दिन वह पुअनि0 सुरेश रविदास, पुसअनि0 ध्रुव नारायण सिंह तथा थाना रिजर्व गार्ड तथा अन्य के साथ छापामारी के लिए निकला था जो गॉव के सामने बॉध के किनारे पहुॅचे तो देखा कि दो मोटरसाईकिल से चार लोग आते दिखायी दिये। जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ा गया, जिसमें दो व्यक्ति अपना मोटरसाईकिल छोड़कर भाग गये तथा दो लोग पकड़ाये। जिन्होनें अपना नाम घुरखेली राय एवं लाल बहादुर राय बताया। एक मोटरसाईकिल पर एक बोरा था जिसमें 8–8 लीटर का 8 पाउच कुल 64 लीटर तथा दूसरे मोटरसाईकिल पर 8 लीटर का 6 पाउच जिसमें 48 लीटर देशी शराब बरामद हुआ। जिसे सुरेश रविदास के कहने पर पुसअनि0 ध्रुव नारायण सिंह के द्वारा जब्ती सूची बनाया गया। इस साक्षी ने जब्ती सूची पर अपने द्वारा एवं शिवजी सिंह द्वारा हस्ताक्षर किया जाना कहा एवं अपने हस्ताक्षर की पहचान किया है। जिसे अभियोजन ने क्रमशः प्रदर्श पी 1/1 तथा 1/1 के रूप में साबित करवाया है। इस साक्षी ने आगे मुख्य साक्ष्य में कहा है कि मोटरसाईकिल छोड़कर भागने वाले व्यक्तियों का नाम पूछने पर लालजी राय एवं लालु राय बतााया। आगे भी कहा है कि जब्त प्रदर्श अभियुक्त तथा उनके मोटरसाईकिल को लेकर थाना आ गए। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षण साक्ष्य में कहा है कि घटना लगभग रात्रि 8 बजे की है। घटनास्थल पर हम कुल 5–6 लोग गए थे। सभी लोग पुलिस जीप से गए थे। घटना स्थल की चौहदी के उत्तर में गंगा जी का बांध है, दक्षिण में नेकनाम टोला है, पूर्व तथा पश्चिम में क्या है मैं नहीं बता सकता। इस साक्षी ने आगे अपनी प्रतिपरीक्षण साक्ष्य में कहा है कि मेरे अलावा शराब वाले कागजात पर कुल तीन आदमी लोगों ने क्रमशः शिवजी सिंह, रामपुलिस सिह और सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ने हस्ताक्षर किया था। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षण साक्ष्य में बचाव पक्ष के सुझावात्मक प्रश्न से इंकार करते हुए कहा है कि यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण की गिरफ्तारी घटनास्थल पर नहीं हुयी और उनको उनके घर से उठाकर इस मुकदमे में झूठा फसा दिया गया तथा विरेन्द्र पासवान के कहने के कारण हमलोगों ने अभियुक्तगण को इस मुकदम में झूठा फसा दिया है। अतएवं उपरोक्त साक्षी के समग्र साक्ष्य से पाता हूँ कि उसका परिसाक्ष्य उसकी प्रतिपरीक्षण में स्थिर एवं अखण्डित रहा है तथा इस साक्षी के परिसाक्ष्य एवं जब्ती सूची पर उसके हस्ताक्षर से सूचक के परिसाक्ष्य में आये इस तथ्य की संपुष्टि हो रही है घटना दिनांक 21.05.2021 को घटनास्थल पर अभियुक्तगणों के अधिपत्य की मोटरसाईकिल से शराब की बरामदगी एवं जब्ती हुई है।

22. अग्रेतर संवीक्षा अनुक्रम में अभियोजन साक्षी संख्या 4 जो प्रस्तुत मामले का अनुसंधानकर्ता है, ने अपनी मुख्य परीक्षण में साक्ष्य में कहा है कि वह दिनांक 21.

05.2021 को बड़हरा थाना में पुअनि0 पद पर पदस्थापित था। उस दिन इस काण्ड संख्या 301/2021 का अनुसंधान भार थानाध्यक्ष डी0एन0 सिंह के द्वारा मुझे सौपा गया। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उसने प्राथमिकी एवं जब्ती सूची को केस डायरी में अंकित करना एवं फिर उसने वादी सुरेश रविदास पुअनि0 का पुनः बयान लेना व केस डायरी में अंकित किया जाना तथा गिरफ्तार अभियुक्त का सफाई बयान लेकर हाजत में बंद करना बताया। इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि वह दिनांक 02.05.2021 को घटनास्थल पर निरीक्षण के लिए स्थानीय चौकीदार विरेन्द्र प्रसाद के साथ गया एवं जिसके बताये अनुसार निरीक्षण किया। इस साक्षी ने इस कांड का घटनास्थल नेकनाम टोला स्थित बांध के किनारे बताया एवं घटना स्थल के उत्तर में बांध के किनारे सेमर का पेड़ दक्षिण में बांध के किनारे आम का पेड़, पूर्व में बांध जो नेकनाम टोला की ओर जाती है तथा पश्चिम में बांध है जो नथमलपुर की ओर जाता है। इस साक्षी ने सअनि0 महेन्द्र प्रसाद, सअनि0 ध्रुव नारायण सिंह, सिपाही 130459 सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, जप्ती सूची साक्षी 130364 शिवजी सिंह, एवं 131945 रामपुलिस सिंह का बयान अंकित करना बताया। इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि उसने जब्त प्रदर्श महुआ शराब को जॉच के लिए मध निषेध विभाग, भोजपुर, आरा को भेजा एवं जॉच प्रतिवेदन को केस डायरी में अंकित किया। इस साक्षी ने आगे कहा है कि अनुसंधान पश्चात् अभियुक्तगण लाल बहादुर राय एवं घुरखेली के विरूद्ध अतर्गत धारा 30ए बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 में उसके हस्तालेख एवं हस्ताक्षरित में आरोप पत्र संख्या 326/2021, दिनांक 17.07.2021 प्रदर्श पी 4 को समर्पित किया जाना एवं जब्त शराब की विनिष्टीकरण प्रतिवेदन प्रदर्श 05 को साबित किया है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण साक्ष्य में स्वीकारा है कि मैनें अन्वेषण के क्रम में जिन–जिन लोगों का बयान काण्ड दैनिकी में दर्ज किया है उन सब का बयान मैनें थाने पर ही लिया था। इस साक्षी ने आगे प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उसने अनुसंधान के क्रम में जब घटनास्थल का निरीक्षण किया तब स्वतंत्र गवाह के बयान दर्ज हेतु वहॉ के स्थानीय लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया परन्तु कोई भी बयान देने को तैयार नहीं हुआ था। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी कहा है कि उसने घटनास्थल की केवल चौहदी का जिक्र किया है। अन्य किसी चीज का वर्णन नहीं किया है। इस साक्षी ने आगे प्रतिपरीक्षण साक्ष्य में यह कहा है कि घटनास्थल के चारों तरफ गॉव नहीं है। घटनास्थल के 8 किलोमीटर दक्षिण गॉव है, घटनास्थल के पूर्व में नेकनाम टोला गॉव है। बांध के उत्तर दिशा में कोई गॉव नहीं है। घटनास्थल आम रास्ता है। इस रास्ते पर हमेशा लोग आते–जाते है। मैनें कुल कितने लोगों से स्वंतंत्र गवाही देने के लिए निवेदन किया था नहीं बता सकता। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण साक्ष्य में बचाव पक्ष के सुझावात्मक प्रश्न से इंकार करते हुए कथन किया है कि ऐसी बात नहीं है कि चौकीदार की अभियुक्तगण से दुश्मनी है तथा चौकीदार के कहने पर अभियुक्तगण को गलत ढंग से फसाया जा रहा है। अतएवं उपरोक्त समग्र संवीक्षा से दर्शित हो रहा है कि इस साक्षी का मुख्य साक्ष्य उसकी प्रतिपरीक्षण साक्ष्य में स्थिर एवं अखंण्डित रहा है। अतः उपरोक्त साक्ष्य से अभियोजन साक्षी संख्या 01 सूचक के परिसाक्ष्य एवं अभियेाजन कथानक की संपुष्टि होती है।

23. अग्रेतर संवीक्षा अनुक्रम में पाता हूॅ कि अभियोजन साक्षी संख्या 5 जिन्हें अभियोजन ने विशेषज्ञ साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया है, इस साक्षी ने इस मामले में जप्त प्रदर्श की जॉच की है तथा जॉच रिपोर्ट को प्रदर्श–6 के रूप में साबित किया

है। प्रदर्श–6 के अवलोकन से विदित होता है कि जॉच हेतु 1–1 लीटर शराब की जॉच में देशी महुआ.शराब होने की पुष्टि हुई है। इस साक्षी का मुख्य साक्ष्य उसकी प्रतिपरीक्षण स्थिर एवं अखंडित रहा है।

बिहार मद्यनिषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 2 की ''उपधारा 44'' शराब पद को परिभाषित करती है। इस धारा के अनुसार '' शराब '' से अभिप्रेत है देशी अथवा पारंपरिक शराब, भारत में बनी विदेशी शराब, विदेशी शराब अथवा कोई निमिति अथवा घटक चाहे ठोस, अर्द्ध ठोस, द्रव, अर्द्ध द्रव अथवा गैसीय हो, स्थानीय रूप से बना हो अथवा अन्यथा जो एल्कोहॉल अथवा एल्कोहॉल के प्रतिस्थानी के रूप में काम कर सके और जिसका प्रयोग अथवा उपभोग नशा लाने के प्रयोजनार्थ किया जा सके।

प्रस्तुत मामले में, इस साक्षी के साक्ष्य एवं प्रदर्श–6 से अभियोजन यह साबित करने में सफल रहा है कि मौके से जो शराब बरामद हुई थी वह देशी महुआ शराब थी जो कि इस अधिनियम की धारा 2 उपधारा 44 के प्रावधान को आकर्षित कर रही है। इस प्रकार अभियोजन यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त के कब्जे से जिस जप्त प्रदर्श की बरामदगी होना कहा गया है वह शराब हीं थी।

विशेषज्ञ साक्षी के साक्ष्य के संबंध में बचाव पक्ष ने यह दलील प्रस्तुत की है कि अभियोजन पक्ष ने जब्त प्रदर्श जॉचकर्ता का शराब परीक्षण संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करने के संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए उसका साक्ष्य विशेषज्ञ साक्षी की कोटि में नहीं आता है। बचाव पक्ष के उपरोक्त तर्क के आलोक में विशेषज्ञ साक्षी किसे कहते है, को जानना आवश्यक हो जाता है। साधारतया कोई व्यक्ति जिसे किसी विदेशीविधि, विज्ञान कला, व्यापार या व्यवसाय का विशेष रूप से ज्ञान है तब उसे विशेषज्ञ कहते है। इसके साथ–साथ ही किसी व्यक्ति के विशेषज्ञ होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके पास उपाधि हो। अतः बचाव पक्ष के उपरोक्त दलील सारहीन दर्शित होती है।

24. अतएवं उपरोक्त समग्र साक्ष्य संवीक्षा से पाता हूँ कि अभियोजन पक्ष में आये सारभूत साक्ष्य से यह साबित करने में सफल रहा है कि घटनास्थल नेकनाम टोला पर लाल बहादुर राय एवं घुरखेली राय को मोटरसाईकिल के साथ बोरे सहित पकडा गया था और उस बोरा में से 8 लीटर का 8 पॉलिथिन पैक कुल 64 लीटर एवं 8 लीटर का 6 पॉलिथन पैक कुल 48 लीटर समग्र मात्रा कुल 112 लीटर देशी महुआ शराब बरामदगी एवं जप्ती किया गया। अब संवीक्षा अनुक्रम में देखना है कि धारा 32 बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम अंतर्गत उपबंधित प्रावधान अनुसार अभियुक्त पक्ष बरामद शराब के कब्जा रखने के संबंध में विवरण प्रस्तुत करके अभियोजन के पक्ष में आये सारभूत साक्ष्य को विखण्डित कर पाने में सफल हुआ है या नही। इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित कराए गए बचाव साक्षियों की साक्ष्य संवीक्षा आवश्यक है। परीक्षित बचाव साक्षियों ने समान रूप से अपने साक्ष्यों में कथन किया है कि पुलिस ने अभिुक्तगण घुरखेली राय एवं लाल बहादुर राय को दिनांक 22.05.2021 को सुबह समय पकड़ा था एवं उन्हें गिरफ्तार कर अपने साथ पुलिस थाना ले गए। सभी बचाव साक्षियों ने यह भी अपने साक्ष्य में कथन किया है कि जब पुलिस ने अभियुक्तगणों घुरखेली राय एवं लाल बहादुर राय को पकड़ा था तब उनके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। बचाव साक्षियों ने अपने प्रतिपरीक्षण साक्ष्य में कथन किया है कि उन्हें गवाही देने के लिए अभियुक्तों ने कहा था। बचाव साक्षियों ने अभियोजन पक्ष के इस

सुझाव को स्वीकार करते हुए कथन किया है कि जब अभियुक्तों को पुलिस पकड कर ले गई तो उन्होनें किसी भी पुलिस पदाधिकारी के पास न ही कोई शिकायत की एवं न ही कोई आवेदन दिया था और न ही किसी पदाधिकारी को सूचना दिया था।

अतएवं उपरोक्त बचाव साक्षी की समग्र संवीक्षा से पाता हूॅ बचाव साक्षी का अभियुक्तगण से अच्छे सम्बन्ध रहा है। इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष बरामद अवैध शराब के सम्बन्धी तथ्य को विखंडित किए जाने से संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष के द्वारा अभियोजन पक्ष के सारभूत साक्ष्य को विखण्डित करने के संबंध में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो पुलिस द्वारा अभियुक्तगणों के विरूद्ध मिथ्या मामला निर्मीत किए जाने का प्रमाणित करता हो। इसलिए बचाव पक्ष को अभियोजन पक्ष में आए सारभूत साक्ष्य को विखण्डित कर पाने में विफल होना पाता हूँ।

25. बचाव पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता ने बहस के दौरान तर्क दिया कि अभियोजन साक्षियों के बयानों में परस्पर गंभीर विसंगतिया है जिससे साक्षियों का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है जबकि विद्वान् विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि साक्षियों के साक्ष्यों में जो विसंगतिया दर्शित हुयी है वह स्वभाविक है एवं मामूली स्तर की प्रकृति की है।

इस मामले में अभियोजन द्वारा अपने मामले को साबित करने के लिये सूचक के अतिरिक्त जप्ती सूची का साक्षी व अनुसंधानकर्ता के साथ–साथ बरामद शराब की जॉच करने वाले विशेषज्ञ साक्षी का भी साक्ष्य कराया गया है। सभी परीक्षित साक्षियों के साक्ष्यों के सूक्ष्म अवलोकन से साक्षियों के साक्ष्यों में ऐसा गंभीर विसंगतिया दर्शित नहीं हुआ है जो अभियोजन कथानक को अविश्वसनीय बना सकें। अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में जो विसंगति दर्शित होती है वह मामूली स्तर की प्रकृति होना प्रतीत होता है। अतः विद्वान् अधिवक्ता के इस तर्क में बल नहीं पाया जाता है कि साक्षियों के साक्ष्य में गंभीर विसंगतिया विद्यमान है।

26. बचाव पक्ष का यह तर्क भी है कि इस वाद में अभियोजन के सभी गवाह पुलिसकर्मी हैं तथा किसी भी स्वतंत्र साक्षी को साक्षी नहीं बनाया गया है जिसके कारण उनके साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

इस संबंध में सूचक का लिखित आवेदन जो प्रदर्श–2 है, एवं अभियोजन साक्ष्य की संवीक्षा से विदित होता है कि इस मामले में पुलिस बल द्वारा उपस्थित राहगीरो से जप्ती सूची साक्षी बनने का अनुरोध किया, कोई भी राहगीर जप्ती सूची साक्षी बनने को तैयार नहीं हुआ उल्लिखित किया गया है जिससे यह दर्शित होता है कि स्वतंत्र साक्षी बनने के लिये घटनास्थल पर उपस्थित लोगों से अनुरोध किया गया था परंतु साक्षी बनने के लिये कोई तैयार नहीं हुआ। वर्तमान समय में लोगों की प्रवृति यह भी है कि वे किसी के मामले में गवाह बनने से कतराते हैं उक्त के कारण से मौके पर की गयी पुलिस की कार्रवाई को दूषित नहीं माना जा सकता है।

बचाव पक्ष का यह भी कहना है कि सभी साक्षी पुलिसकर्मी हैं जिससे उनका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा कई मामलों में प्रतिपादित किया गया है कि सरकारी गवाहों के अधिसाक्ष्य को मात्र इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जा

सकता है कि वे अधिकारिक साक्षी हैं। यदि उनके साक्ष्य विश्वसनीय पाए जाते हैं तो उनके साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है।

अप्पाभाई एवं अन्य बनाम् गुजरात राज्य AIR 1988 SC 696 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि मात्र स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति के आधार पर अभियोजन कथानक में संदेह नहीं किया जा सकता है।

कर्मजीत सिंह बनाम् राज्य (दिल्ली प्रशासन) AIR2003 SC में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया गया है कि पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य को उसी प्रकार से विवेचित किया जाना चाहिए जैसे कि अन्य साक्षियों के साक्ष्य को विवेचित किया जाता है। विधि का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है है कि बिना स्वतंत्र साक्षियों के संपोषण के उनके साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं माना जाना चाहिए।

इस मामले में यद्यपि कि सभी साक्षीगण पुलिस विभाग से संबंधित हैं परन्तु उनके साक्ष्यों से अभियोजन का मामला पूर्णतया साबित हुआ है। अतः उपरोक्त के आलोक में विद्वान् अधिवक्ता के तर्क में बल नहीं पाया जा रहा है।

27. इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों, साक्ष्यों एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के सम्यक अवलोकन, परिशीलन व समीक्षा के उपरांत मैं यह पाता हूँ कि अभियुक्त घुरखेली राय को दिनांक 21.05.2021 को घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया था तथा उसके पास से कुल 112 लीटर देशी महुआ शराब बरामद हुई थी। इस प्रकार मैं यह पाता हूँ कि अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेहों के परे साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है। अतएवं–

28. उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के विस्तृत विवेचन से अभियुक्त घुरखेली राय को धारा 30(ए) बिहार मद्यनिषेद्य एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत दोषी पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त कारा में निरूद्ध है और न्यायालय में उपस्थित है।

29. अभिलेख सजा के बिंदु पर सुनवाई हेतु दिनांक 26.11.2022 को प्रस्तुत किया जाए।

निणर्य आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय
में हस्ताक्षरित, दिनांकित, उद्घोषित
एवं शुद्धिकृत किया गया।

लेखापित

(ऋषि कुमार सिंह)
अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश-I
भोजपुर, आरा।
दिनांक 24.11.2022

(ऋषि कुमार सिंह)
अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश-I
भोजपुर, आरा।
दिनांक 24.11.2022

पश्चात् **सजा के बिन्दु पर सुनवाई**

26.11.2022

30. सजा के बिंदु पर सुनवाई हेतु अभिलेख आज प्राप्त हुआ। दोषसिद्ध घुरखेली राय मंडल कारा, आरा से न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

31. सजा के बिंदु पर उभय पक्षों को सुना। अभियुक्त घुरखेली राय की ओर से उनके विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त अत्यंत गरीब है तथा उसके घर में उसके अलावा कोई कमाने वाला नहीं है। अभियुक्त कम आयु का है तथा उसमें सुधार की पर्याप्त गुंजाईश है। अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अतः अभियुक्त को न्यूनतम दंड दिये जाने का निवेदन किया गया।

32. राज्य की ओर से विद्वान् विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद द्वारा कहा गया कि अभियुक्त के पास से 112 लीटर शराब बरामद हुई है जो यह दर्शित करता है अभियुक्त शराब की अवैध व्यवसाय में संलिप्त है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि देश का भविष्य उसके युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है और देश के युवा पीढ़ी को यदि नशे की लत लगा दी जाये तो वह देश स्वयंमेव समाप्ति की ओर अग्रसर हो जायेगा। अतः अभियुक्त को अधिकतम दंड दिये जाने का निवेदन किया।

33. उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का सम्यक् अवलोकन किया। अभिलेख पर अभियुक्त घुरखेली राय का कोई पूर्व अपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय दोषसिद्ध अभियुक्त को निम्न दंड से दंडित किये जाने से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति होना न्यायोचित समझती है। अतः

आदेश

34. अभियुक्त घुरखेली राय को धारा 30(ए) बिहार मद्यनिषेद्य एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम 2018 के लिये दोषसिद्ध पाते हुए 10 (दस) वर्ष के कारावास से तथा 100000/–रू0 (एक लाख रूपया) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न किये जाने पर एक वर्ष की अतिरिक्त करावास की सजा भी भुगतनी होगी।

35. इस मामले में अभियुक्त के अन्वेषण, जॉच या विचारण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि धारा 428 दं0प्र0सं के अंतर्गत इस अधिरोपित दंड में समायोजित की जायेगी।

36. कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि इस निर्णय की निःशुल्क प्रति नियमानुसार अभियुक्त घुरखेली राय को अविलंब उपलब्ध करायी जाय।

37. कार्यालय अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा कराना सुनिश्चित करें।

निणर्य आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय
में हस्ताक्षरित, दिनांकित, उद्घोषित
एवं शुद्धिकृत किया गया। लेखापित

(ऋषि कुमार सिंह)
अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश-I
भोजपुर, आरा।
दिनांक 26.11.2022

(ऋषि कुमार सिंह)
अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश-I
भोजपुर, आरा।
दिनांक 26.11.2022

साक्ष्य का परिशिष्ट

अनुक्रमणिका

अभियोजन/बचाव/न्यायालय के गवाहों की सूची

A. अभियोजन :–

रैंक	नाम	गवाह की प्रकृति (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सा गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
PW1	सुरेश रविदास	चश्मदीद गवाह/सूचक
PW2	ध्रुव नरायण सिंह	चश्मदीद गवाह
PW3	राम पुलिस सिंह	चश्मदीद गवाह/जप्ती गवाह
PW4	बिरेन्द्र कुमार बिमल	चश्मदीद गवाह/अनुसंधानकर्ता
PW5	प्रकाश कुमार राम	विशेषज्ञ गवाह

B. बचाव पक्ष साक्षी, यदि हो तो :–

रैंक	नाम	गवाह की प्रकृति (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सा गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
DW1	रामबाबु पासवान	चश्मदीद गवाह
DW2	रघुनाथ राय	चश्मदीद गवाह
DW3	रंगनाथ सिंह	चश्मदीद गवाह

C. न्यायालय साक्षी, यदि हो तो :– कोई नहीं।

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्शो की सूची

A. अभियोजन :–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श–1/PW1	जप्ती सूची पर सूचक सुरेश रविदास द्वारा स्वंय की हस्तलेख एंव हस्ताक्षर की पहचान।,
2	प्रदर्श–1/1/PW1	जप्ती सूची पर सूचक सुरेश रविदास द्वारा जप्ती साक्षी शिवजी सिंह के हस्ताक्षर की पहचान।
3	प्रदर्श–1/2/PW1	जप्ती सूची पर सुरेश रविदास द्वारा जप्ती साक्षी रामपुलिस के हस्ताक्षर की पहचान।
4	प्रदर्श–2/PW1	टंकित आवेदन पर अभियोजन साक्षी संख्या 1 सूचक सुरेश रविदास द्वारा स्वंय की हस्ताक्षर की पहचान।
5	प्रदर्श–2/1/PW1	टंकित आवेदन पर अभियोजन साक्षी संख्या 1 सूचक सुरेश रविदास द्वारा पुअनि0 दीप नारायण सिंह के हस्तलेख एंव हस्ताक्षर की पहचान।,
6	प्रदर्श–3/PW1	औपचारिक प्राथमिकी पर अभियोजन साक्षी संख्या 1 सूचक सुरेश रविदास द्वारा पुअनि0 दीप नारायण सिंह के हस्ताक्षर की पहचान।

7	प्रदर्श–4/PW4	आरोप पत्र पर अभियोजन साक्षी संख्या 4 द्वारा स्वंय की हस्ताक्षर की पहचान
8	प्रदर्श–5/PW4	शराब को विनिष्ट कर देने के रिर्पोट पर थाना प्रभारी का हस्ताक्षर
9	प्रदर्श–6/PW5	देशी महुआ शराब का जॉच प्रतिवेदन।

B. बचाव पक्ष प्रदर्श :– कोई नहीं।
C. न्यायालय प्रदर्श :– कोई नहीं।
D. वस्तु प्रदर्श :– कोई नहीं।

लेखापित

(ऋषि कुमार सिंह)
अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश-I
भोजपुर, आरा।